सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

विषय-सूची

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	एक अवलोकन	1 – 4
2.	आयोग के कार्य और गठन	5 – 8
3.	आयोग की बैठकें	9 – 14
4.	वर्ष के उल्लेखनीय कार्य	15 – 16
5.	यात्रा एवं दौरें	17 – 32
6.	याचिकाएं और शिकायतें	33 – 49
7.	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों के वंचन और विश्वविद्यालयों से संबद्धता के मामले	51 – 52
8.	केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और आयोग की सिफारिशों के संदर्भ	53 – 56
9.	अल्पसंख्यकों के शिक्षा के समेकित विकास के लिए संस्तुतियां	57
10.	अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले	59 – 60
11.	सूचना का अधिकार (आर टी आई)	61
12.	निष्कर्ष	63 – 66
	अनुलग्नक	67 – 83

अध्याय 1

एक अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (रा.अ.शै.सं.आ.) अधिनियम, 2004 की धारा 16 में आयोग को पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का व्यापक विवरण देते हुए पिछले वित्त वर्ष का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और इसकी एक प्रति केन्द्र सरकार को भेजने का दायित्व सौंपा गया है।

यह वर्ष 2016–2017 की आयोग का बारहवां वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपार्ट में वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए अपने सभी कार्यकलापों का संपूर्ण ब्यौरा दिया गया है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए लंबे समय से की जा रही एक ऐसे आयोग की मांग जो कि अल्पसंख्यक पेशेवर संस्थानों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रत्यक्ष रूप से संबद्धता प्रदान करेगी, को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों और अल्पसंख्यक शिक्षा के साथ जुड़े समुदाय के नेताओं द्वारा आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला में रेखांकित किया गया था। अगस्त 2004 में आयोजित अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति की एक बैठक में भी कई विशेषज्ञों ने इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे।

अगले शैक्षणिक सत्र और बाद में राष्ट्रीय आयोग की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक कार्य को ध्यान में रखते हुए, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के अध्यादेश, 2004 के राष्ट्रीय आयोग की घोषणा के जरिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया ।

1.3 आयोग के बारे में

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की स्थापना दिनांक 11 नवम्बर, 2004 के एक अध्यादेश द्वारा की गई थी जिसे दिसम्बर 2004 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 16 नवम्बर, 2004 को आयोग का गठन किया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सरकार ने 26 नवम्बर, 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा न्यायमूर्ति एम.एस.ए. सिद्दीकी को आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया तथा दो अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई।

आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य न हो, साथ ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो। एक व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य न हो, और साथ ही एक श्रेष्ठता, क्षमता और अखंडता युक्त व्यक्ति न हो।

सचिव और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते

और सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सहित प्रशासनिक व्यय, अनुदान से भुगतान किया जाएगा।

आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जाएगा या आयोग के संविधान में किसी भी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर कार्रवाई या कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

अधिनियम के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आयोग में रिक्ति, आयोग की कार्यवाही अमान्य नहीं करती है। इसलिए, अध्यक्ष की रिक्ति आयोग के कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या केवल अध्यक्ष की रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर अमान्य नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने छह अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया है . मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध पारसी और जैन।

आज तक केंद्र सरकार द्वारा कोई भाषाई अल्पसंख्यक अधिसूचित नहीं किया गया है। इस प्रकार, केवल छः धार्मिक अल्पसंख्यक रा.अ.शै.सं. आ. अधिनियम के तहत शामिल हैं, यह स्पष्ट है कि भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के दायरे से बाहर हैं इसलिए आयोग किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक से प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करता है और सिर्फ भाषाई आधार पर दायर याचिकाओं को खारिज करता है।

कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है उस प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है ।

आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर या जहां सक्षम प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, नियमों और विनियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने और इसे संचालित करने का हकदार है।

यह आयोग एक अर्ध–न्यायिक निकाय है तथा इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। यह पहली बार है कि अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक आयोग स्थापित किया गया है। अधि ानियम के प्रावधानों के अनुसार, आयोग को न्यायिक कार्य और संस्तुति करने की शक्तियां हैं। आयोग का जनादेश बहुत व्यापक है। इसके कार्य में अन्य बातों के अलावा किसी विश्वविद्यालय से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के आनुषांगिक होने से संबंधित किसी विवाद का निपटारा करने, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वंचन तथा उल्लंघन संबंधी शिकायतों का निपटारा करने तथा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधि ाकारों से संबंधित आयोग को भेजे गए किसी

मामले पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को सलाह देना शामिल है।

1.4 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) को 6 जनवरी 2005 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को अधिनियम के तहत गठित किया गया है। अधिनियम में परिभाषित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का मतलब अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यको द्वारा स्थापित और प्रशासित एक महाविद्यालय या एक शैक्षिक संस्थान है। आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है:

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी प्रश्न, जो उसे निर्देशित किया जाए, पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना।

(ख) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अथवा इसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने और किसी विश्वविद्यालय के अनुषंगन से संबंधित किसी विवाद के बारे में विनिर्दिष्ट मामलों की जांच पड़ताल करना तथा अधिकृत सरकार को उनके कार्यान्वयन के लिए अपने निष्कर्षों का रिपोर्ट देना,

(ग) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना,

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षापायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यन्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना,

(ङ) अल्पसंख्यक दर्जा तथा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के स्वरुप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना,

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रुप में किसी संस्था के दर्जा से संबंधी सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस प्रकार इसके दर्जे की घोषणा करना,

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकृत सरकार से सिफारिशें करना, और

(ज) आयोग के सभी या किन्ही भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य कार्य एवं बातें करना जो आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

1.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006:

आयोग को और अधिक सक्रिय व इसकी कार्यपद्धति को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग द्वारा सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सिफारिशें की गई थीं। सरकार ने संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया। तथापि, संसद द्वारा पारित 93वें संवैधानिक संशोधन, जिसके

द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्ग के नागरिकों की शैक्षणिक उन्नति को बढावा देने के लिए विशेष उपबंध करते हुए संविधान में अनुच्छेद 15 (5) को समाविष्ट किया गया था, के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा तदनुरूप संशोधन करना आवश्यक हो गया। इसके फलस्वरूप, सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2006 को एक अध्यादेश अधिसूचित किया गया जिसका स्थान आगे चलकर संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम 2006 ने ले लिया जो 29 मार्च, 2006 को अधिसूचित हुआ।

1.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग संशोधन अधिनियम, 2010

इसके पश्चात् रा.अ.शै.सं.आ. अधिनियम की धारा 12 ख (4) के प्रावधान के बारे में अनेक सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें राज्य सरकार के परामर्श से प्रावधान को हटाने का सुझाव दिया गया। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में जहां विश्वविद्यालयों को छोड़ दिया गया था, इसके संबंध में धारा–2 (छ) में संशोधन करने की आवश्यकता के बारे में अनेक सुझाव प्राप्त हुए। एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने से संबंधित धारा–10 के प्रावधान में अस्पष्टता दूर करने की आवश्यकता पर भी सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझावों की आयोग में जांच की गई। यह महसूस किया गया कि आयोग द्वारा अपील पर निर्णय लिए जाने के लिए अधिनियम की धारा–12 ख के अनुसार राज्य सरकार के साथ परामर्श करने की आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विरूद्ध है। यह देखा गया कि राज्य सरकार से परामर्श करने से पीड़ित पार्टी के पक्ष में सृजित अपील के अधिकार में बहुत हद तक कमी आई है।

अधिनियम की धारा–10 (1) में प्रावधान के अध्ययन मात्र से यह पता चलता है कि सभी मामलों में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। हालांकि, ऐसी संस्थाओं विषेशकर तकनीकी तथा व्यावसायिक कॉलेजों से संबंधित संस्थाओं की स्थापना को विनियमन करने वाले विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकारी से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। इसलिए, धारा 10 (1) में आवश्यक संशोधन जरूरी समझा गया।

आयोग के कार्यभार में पर्याप्त रूप से होती बढोत्तरी और आयोग को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मौजूदा दो सदस्यों के अतिरिक्त एक अन्य सदस्य की आवश्यकता भी महसूस की गई। तदनुसार, आयोग की सिफारिशों पर, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए रा.अ.शै.सं.आ. अधिनियम, 2004 में संशोधन किया गया। आयोग को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सरकार ने आयोग में सदस्यों की संख्या दो से बढाकर तीन करके लिए 1.9.2010 से 2010 के अधिनियम 20 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम में संशोधन किया।

अध्याय 2

आयोग के कार्य और गठन

2.1 गठन

आयोग की स्थापना 11 नवम्बर, 2004 को अधिसूचित एक अध्यादेश (2004 की संख्या 6) के जरिए हुई थी। इसके बाद अध्यादेश का स्थान पर एक विधेयक पेश किया गया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) पारित हुआ जिसे 6 जनवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया। संसद ने रा.अ. शै.सं.आ. (संशोधन), अधिनियम, 2006 पारित किया, जिसे 29 मार्च, 2006 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम को पुनः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित किया गया।

सरकार ने न्यायमूर्ति एम. एस. ए. सिद्दीकी को आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त करते हुए दिनांक 26 नवम्बर, 2004 को एक अधिसूचना जारी की। सरकार ने आगे और पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायमूर्ति एम. एस. ए. सिद्दीकी की आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की और उन्होंने अपना कार्यभार 18.12.2009 को ग्रहण किया। डा मोहिन्दर सिंह और डा सिरियक थामस ने आयोग के सदस्य के रूप में 5–5 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 8, अप्रैल, 2010 और 12 अप्रैल, 2010 को कार्यभार ग्रहण किया । श्री जफर आगा ने 26.3.2012 को आयोग के तीसरे सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।

डा मोहिन्दर सिंह ने व्यक्तिगत एवं घरेलू कारणों के चलते 30.09.2014 को त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। उनके बाकी कार्यकाल की अवधि हेतु डॉ नाहिद आबिदी (पद्म श्री) को सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति तक 07.04.2015 तक के लिए नियुक्त किया गया। डा सिरियक थामस का 5 वर्षों का कार्यकाल 11.04.2015 को समाप्त हो गया । दो नए सदस्यों ने आयोग में पदभार संभाला है। डॉ बलतेज सिंह मान ने दिनांक 3 दिसंबर 2015 को एवं डॉ नाहीद आबिदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के रुप में दिनांक 4 दिसंबर 2015 से पदभार संभाल लिया है। श्री जफर आगा ने 25.03.2017 को अपना कार्यकाल पूरा किया। पूरे वर्ष के दौरान अध्यक्ष का पद रिक्त था जबकि एक सदस्य का पद 26.03.2017 से रिक्त है ।

आयोग ने शास्त्री भवन से कार्य करना प्रारंभ किया था तथा अगस्त, 2005 में आयोग संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित जीवन तारा भवन के परिसर में स्थानान्तरित हो गया। इस समय आयोग जीवन तारा भवन के प्रथम तल (गेट न. 4), 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली से कार्य कर रहा है। सरकार ने आवश्यक प्रशासनिक कार्यलय के लिए प्रारंभ में 22 पद संस्वीकृत किए थे। बाद में, सरकार ने 11 अतिरिक्त पद संस्वीकृत किए। वर्तमान में आयोग में कुल 33 पद है जिसमें सचिव, उप सचिव, सीनियर पीपीएस, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के एक एक शामिल हैं।

सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर दिया गया है। कुछ कर्मचारियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया है,

जबकि अन्य सहायक कर्मचारियों की सेवाएं एडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड , मानव संसाधन विभाग मंत्रालय के अधीन एक उपक्रम, के माध्यम से अनुबंध आधार पर ली गई हैं। वर्ष के दौरान 8 व्यक्ति एडीसीआईएल के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं।

2.2 आयोग के कार्य

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आयोग के कार्य निम्नानुसार है:–

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर, जो उसे भेजा जाए, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना,

(ख) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अथवा इसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने, अथवा उनका अतिक्रमण किए जाने और किसी विश्वविद्यालय से अनुषंगन से संबंधित किसी विवाद के बारे में शिकायतों की अपनी ओर से या उसे प्रस्तुत की गई किसी याचिका पर जाँच पडताल करना और अधिकृत सरकार को इनके कार्यन्वयन के लिए अपने निष्कर्षों का रिपोर्ट देना,

(ग) किसी न्यायालय के समक्ष उस न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना,

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षापायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना,

(ङ) अल्पसंख्यक दर्जा तथा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के स्वरूप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना,

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में किसी संस्था के दर्जा से संबंधी सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस प्रकार इसके दर्जे की घोषणा करना,

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकृत सरकार से सिफारिशें करना, और

(ज) आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य कार्य एवं बातें करना जो आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

2.3 आयोग की शक्तियां

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार आयोग की शक्तियां निम्नानुसार हैं :–

(क) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और ऐसे विश्वविद्यालय जिससे वह संबद्ध है, के बीच कोई विवाद पैदा होता है, तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(ग) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी

जाएगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा

(घ) किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार करने के आदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति आयोग को इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

(ङ) आयोग पार्टियों की सुनवाई के बाद जल्द से जल्द आदेश दे सकता है और ऐसे निर्देश दे सकता है जितना आवश्यक हो या उसके आदेशों को प्रभावी करने के लिए या अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने या न्याय को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त हो।

(च) आयोग द्वारा पारित एक आदेश को लागू करने के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय के डिक्री के रूप में और सिविल प्रक्रिया संहिताए 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के रूप में निष्पादन करने का अधिकार होगा।

(छ) किसी भी शैक्षणिक संस्थान* को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण ऐसी स्थिति के अनुदान के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देता है तो पीड़ित व्यक्ति आयोग के प्राधिकारी के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

(ज) अपील की प्राप्ति पर आयोग पार्टियों को अपील के लिए सुनवाई के अवसर देने के बाद, शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला कर सकता है और इस तरह के निर्देश दे सकता है और ऐसे सभी निर्देश दलों पर बाध्य होगें।

(छ) यथास्थिति आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान या जिसके तहत एक प्राधिकरण या आयोग द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया हो , को सुने जाने का उचित मौका देने के बाद, अधिनियम में निर्धारित प्रावधान के अल्पसंख्यक दर्जा को रद्द कर सकता है।

(ज) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों की जांच का अधिकार आयोग को होगा।

(छ) आयोग अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन या अभाव की शिकायतों की जांच करते समय केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन के अधीनस्थ से सूचना या रिपोर्ट मांगेगा।

(क) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और उसे लागू करने और शपथ लेने पर उसे जांचना

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और पेश करने का आदेश दे सकता है

(ग) हलफनामों पर प्रमाण प्राप्त करना

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियमए 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के प्रावधानों के अधीन किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज या किसी भी कार्यालय से ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज की प्रतिलिपि मांगना

**प्राधिकारण से तात्पर्य उस प्राधिकरण या अधिकारी या आयोग से है जिसे एक शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जे का प्रमाणपत्र देने के उद्देश्य से उपयुक्त सरकार के आदेश के अधीन स्थापित किया गया हो*

(ङ) गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना तथा

(च) कोई भी अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए

अल्पसंख्यकों के शैक्षिणिक अधिकारों के उल्लंघन या वंचन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सूचना के लिए बुलाने करने की शक्ति भी है। जहां एक जांच एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन या वंचन को स्थापित करती है आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ अन्य कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

अधिकार–क्षेत्र की अनुसीमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों के तहत रिट अध्यादेश का प्रयोग करने वाले सर्वोच्च न्यायालय केवल आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश के संबंध में किसी भी मुकदमा आवेदन या कार्यवाही पर विचार कर सकता है।

2.4 अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां :

अध्यक्ष इस तरह के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस धारा के तहत किए गए नियमों के अनुसार निहित हो सकते हैं।

आयोग के सदस्यों, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत राजकीय कर्मचारी माना जाता है।

संसद द्वारा की गए उचित विनियोग के बाद आयोग को केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। अनुदान आयोग के खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित रूप में खातों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की लेखापरीक्षा किया जाता है।

संगठन रेखा–चित्र

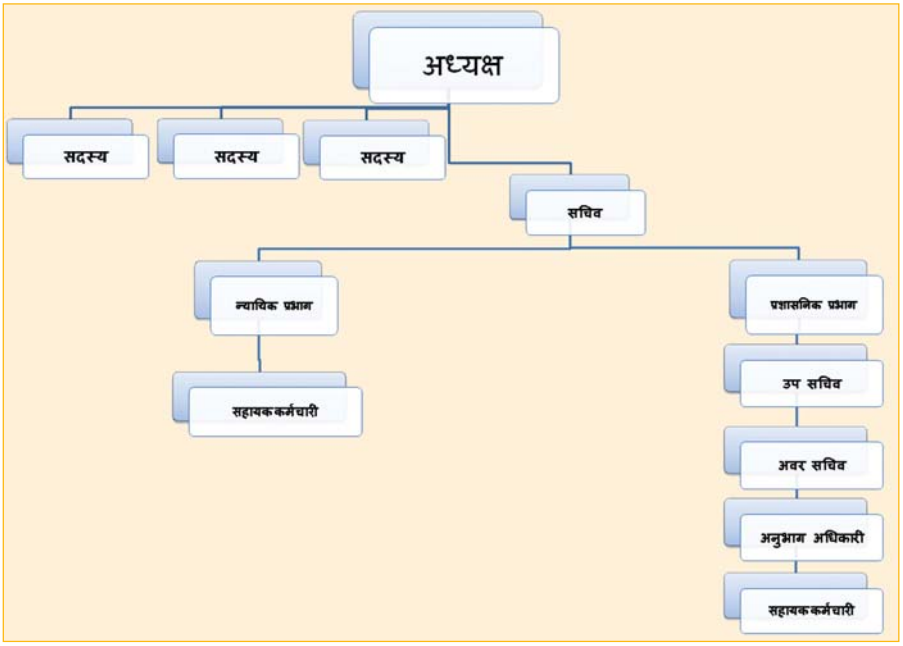

अध्याय 3

आयोग की बैठकें

रा.अ.शै.सं.आ. अधिनियम की धारा 12(3) यह अनुबंधित करती है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और आयोग को आपराधिक प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 195 अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। आयोग अर्द्ध–न्यायिक निकाय होने के कारण औपचारिक न्यायालय की बैठकें आयोजित करता है। एक औपचारिक न्यायालय कक्ष इस प्रयोजनार्थ आयोग के परिसर में उपलब्ध है।

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने अदालत के रूप में कुल 177 बैठकों का आयोजन किया और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 4530 मामलो की सुनवाई की।

01.04.2016 से 31.03.2017 तक न्यायालय की बैठकों का ब्यौरा

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
1	01.04.2016	22
2	04.04.2016	24
3	05.04.2016	27
4	06.04.2016	28
5	07.04.2016	50
6	11.04.2016	26
7	12.04.2016	17
8	13.04.2016	20
9	18.04.2016	25
10	19.04.2016	69
11	21.04.2016	22
12	22.04.2016	29
13	25.04.2016	22
14	26.04.2016	25
15	27.04.2016	19
16	28.04.2016	36
17	02.05.2016	29
18	03.05.2016	23
19	04.05.2016	23
20	05.05.2016	33
21	06.05.2016	31
22	09.05.2016	25
23	10.05.2016	25
24	11.05.2016	26
25	12.05.2016	23
26	16.05.2016	22
27	17.05.2016	23
28	18.05.2016	32
29	19.05.2016	32
30	23.05.2016	18

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
31	24.05.2016	25
32	25.05.2016	25
33	26.05.2016	31
34	27.05.2016	4
35	30.05.2016	18
36	31.05.2016	92
37	14.06.2016	6
38	16.06.2016	6
39	23.06.2016	8
40	24.06.2016	8
41	04.07.2016	22
42	05.07.2016	29
43	11.07.2016	25
44	12.07.2016	24
45	13.07.2016	21
46	14.07.2016	24
47	18.07.2016	25
48	19.07.2016	25
49	20.07.2016	32
50	21.07.2016	22
51	25.07.2016	21
52	26.07.2016	23
53	27.07.2016	21
54	28.07.2016	26
55	29.07.2016	21

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
56	01.08.2016	22
57	02.08.2016	23
58	03.08.2016	24
59	04.08.2016	24
60	08.08.2016	22
61	09.08.2016	91
62	10.08.2016	25
63	11.08.2016	25
64	12.08.2016	32
65	16.08.2016	1
66	17.08.2016	26
67	18.08.2016	28
68	19.08.2016	1
69	22.08.2016	23
70	23.08.2016	26
71	24.08.2016	24
72	29.08.2016	25
73	30.08.2016	27
74	31.08.2016	25
75	01.09.2016	28
76	05.09.2016	22
77	06.09.2016	22
78	07.09.2016	24
79	08.09.2016	25
80	14.09.2016	27

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
81	15.09.2016	24
82	19.09.2016	24
83	20.09.2016	25
84	21.09.2016	24
85	22.09.2016	23
86	23.09.2016	30
87	26.09.2016	29
88	27.09.2016	26
89	28.09.2016	25
90	29.09.2016	24
91	03.10..2016	23
92	04.10.2016	23
93	05.10.2016	22
94	06.10.2016	23
95	17.10.2016	25
96	18.10.2016	25
97	20.10.2016	27
98	21.10.2016	23
99	24.10.2016	33
100	25.10.2016	21
101	26.10.2016	28
102	27.10.2016	22
103	28.10.2016	44
104	07.11.2016	23
105	08.11.2016	33

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
106	09.11.2016	22
107	10.11.2016	24
108	11.11.2016	26
109	15.11.2016	31
110	16.11.2016	32
111	17.11.2016	27
112	18.11.2016	27
113	21.11.2016	24
114	22.11.2016	24
115	23.11.2016	24
116	24.11.2016	25
117	25.11.2016	38
118	28.11.2016	21
119	29.11.2016	27
120	30.11.2016	23
121	01.12.2016	23
122	02.12.2016	24
123	05.12.2016	24
124	06.12.2016	26
125	07.12.2016	23
126	08.12.2016	35
127	14.12.2016	19
128	15.12.2016	22
129	03.01.2017	20
130	04.01.2017	26

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
131	05.01.2017	22
132	09.01.2017	26
133	10.01.2017	25
134	11.01.2017	30
135	12.01.2017	25
136	16.01.2017	27
137	17.01.2017	25
138	18.01.2017	24
139	19.01.2017	23
140	23.01.2017	24
141	24.01.2017	22
142	30.01.2017	29
143	31.01.2017	23
144	01.02.2017	22
145	02.02.2017	20
146	06.02.2017	33
147	07.02.2017	28
148	08.02.2017	23
149	09.02.2017	27
150	13.02.2017	20
151	14.02.2017	26
152	15.02.2017	27
153	16.02.2017	24
154	17.02.2017	47

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
155	20.02.2017	22
156	21.02.2017	11
157	22.02.2017	23
158	23.02.2017	23
159	27.02.2017	24
160	28.02.2017	27
161	01.03.2017	23
162	02.03.2017	28
163	06.03.2017	67
164	07.03.2017	17
165	08.03.2017	23
166	09.03.2017	24
167	14.03.2017	12
168	15.03.2017	28
169	16.03.2017	30
170	20.03.2017	27
171	21.03.2017	23
172	22.03.2017	30
173	23.03.2017	20
174	27.03.2017	16
175	28.03.2017	15
176	29.03.2017	27
177	30.03.2017	30
Total	**177**	**4530**

निष्कर्षतः आयोग ने पिछले वर्ष 2015–16 के दौरान 170 की तुलना में 177 बैठकों की संख्या का आयोजन किया और पिछले वर्ष की तुलना में 4530 मामलों की संख्या सुनाई जो कि 4487 थी।

अदालत की बैठकों का विवरण और पिछले 10 वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	बैठकें	मामले
2007-08	73	2916
2008-09	93	3506
2009-10	121	4377
2010-11	130	4774
2011-12	162	5022
2012-13	171	4269
2013-14	178	5042
2014-15	176	5602
2015-16	170	4487
2016-17	177	4530

औपचारिक न्यायालय बैठकों के दौरान जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए उनकी सुनवाई की गई। उपरोक्त औपचारिक बैठकों की संख्या के अलावा आयोग ने दैनिक आधार पर नई याचिकाओं की सुनवाई की और आदेश पारित किए है। नई याचिकाओं के लिए याचिकाकर्ता अथवा प्रतिवादी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। आयोग ने प्रत्येक बैठक में यथासंभव मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक मामलों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पिछले वर्ष के बकाया मामलों को प्राथमिकता दी जाए।

मई 2016 में अधिकतम 20 बैठकें आयोजित की गईं जबकि अगस्त, 2016 में 19 सीटों का आयोजन किया गया। इसके अलावा मई 2016 में सबसे ज्यादा 560 मामले सुनाए गए थे और इसके बाद अगस्त 2016 में 494 मामले दर्ज किए गए थे। अप्रैल 2016–461 मामले, नवंबर 2016–451 मामले और मार्च 2017–440 मामले सभी प्रयासों को अधिकतम संख्या में बैठने की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रत्येक बैठने में मामलों की सूची अधिकतम करने पर सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को निर्णय दिवस होता है, इसलिए, सामान्य रूप से शुक्रवार को कोई बैठक नहीं होती है।

मामलों के निपटान में तेजी लाने के एक दृश्य के साथ, अदालत की बैठकों के लिए आयोग द्वारा कोई कोरम तय नहीं किया गया है। यहां तक कि अगर केवल अध्यक्ष या सदस्यों में से एक मौजूद है, तो अदालत की कार्यवाही आयोजित की जा सकती है और फैसले के लिए मामले उठाए जा सकते हैं।

आयोग ने मामलों का शीघ्र निपटान करने की दृष्टि से न्यायालय की बैठकों के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं किया है। यदि केवल अध्यक्ष अथवा कोई एक सदस्य भी उपस्थित होता है तो न्यायालय की कार्यवाही आयोजित की जा सकती हैं और निर्णय लेने के लिए मामलों पर विचार किया जाता है।

सभी मामले जो एक विशेष दिन के लिए सूचीबद्ध किए जाते हैं, उन्हें उसी दिन उठाया जाता है और उन पर उसी दिन सुनवाई होती है और उपस्थित अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा समुचित आदेश पारित किए जाते हैं। प्रतिवादियों को पर्याप्त समय का नोटिस दिया जाता है। याचिकाकर्त्ताओं द्वारा आग्रह करने पर आयोग सुनवाई की पहले तारीख दे देता है। आयोग किसी विशेष दिन उपस्थित

होने के लिए पक्षकारों द्वारा व्यक्त असुविधा पर भी विचार करता है तथा तदनुसार, सुनवाई की उपयुक्त तारीख निर्धारित करके स्थगन प्रदान किए जाते हैं ताकि पक्षकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अपने मामले प्रभावी ढंग से रख सकें। याचिकाकर्त्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग ने कभी भी वकील की सेवाएं लिए जाने का आग्रह नहीं किया है। अन्य शब्दों में, कोई भी याचिकाकर्त्ता जो अपने मामले पर स्वयं बहस करना चाहता है, उसे इसकी स्वतंत्रता दी जाती है।

आयोग का यह प्रयास रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए उनके शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक निःशुल्क मंच प्रदान किया जाए। इसलिए, आयोग ने कोई भी न्यायालय शुल्क निर्धारित नहीं किया है। चूँकि काफी संख्या में याचिकाकर्त्ता न्यायालय की औपचारिकताओं तथा प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, आयोग ने उन याचिकाओं तक को भी स्वीकार किया है जो वकालत के कानून के अनुरूप नहीं होतीं।

3.2 कानूनी चुनौती

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रभाग की पीठ ने कहा कि आयोग एक शैक्षिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जा की घोषणा करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र का अधिकार रखता है, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने बताया कि अल्पसंख्यक दर्जा देने का अधिकार अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय आयोग के दायरे/शक्ति और क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं है, क्योंकि इसमें अकेले और केवल अपीलीय शक्तियां हैं।

पश्चिम बंगाल के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में, कलकत्ता उच्च न्यायालय, डब्ल्यू पी में 01.04.2016 के अपने आदेश के अनुसार 2015 की संख्या 24847 (डब्ल्यू) मिली अल–अमीन कॉलेज, लड़कियों के लिए और अन्न बनाम पश्चिम बंगाल और अदर्स राज्य और जुड़े मामले, आयोग ने पहले उदाहरण में अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से रोक दिया।

संक्षेप में: इलाहाबाद और कलकत्ता के दो अलग–अलग उच्च न्यायालय ने आयोग के मूल के साथ–साथ अपीलीय शक्तियों पर तिरछे विपरीत विचार उठाए हैं। चूंकि आयोग अल्पमत की स्थिति तय करने के लिए मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र दोनों को मंजूरी देता है, इसलिए आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष छूट याचिकाओं को दायर किया है, जो लंबित हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से ग्रस्त होने के कारण, आयोग ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दर्ज किया जो लंबित है। इसके कारण, पश्चिम बंगाल के मामलों को तब तक नहीं सुनाया जा सकता था जब तक आयोग ने फैसला न कर लिया हो।

अध्याय 4

वर्ष के उल्लेखनीय कार्य

आयोग का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर, 2004 को नई दिल्ली मे इसके मुख्यालय के साथ किया गया था। आयोग ने नवंबर 2016 में अपने अस्तित्व के 12 साल पूरे कर लिए हैं।

4.1 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र

स्थापना के बाद से, 12929 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) 31.03.2017 तक जारी किए गए हैं। आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए 1094 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए। अनुलग्नक I में उक्त वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण पत्रों को प्रदर्शित करने वाली एक राज्यवार सूची 31.03.2017 तक जारी राज्यवार अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण पत्र का विवरण अनुबंध II पर है।

4.2 रिकार्डों का डीजीटाईजेसन एंव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की नई वेबसाइट

आयोग ने अपने अभिलेख/फाइलों को डिजिटाइज किया है, जिसमें 2015 तक अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं और 2013 तक पुरानी फाइलों को समाप्त कर दिया गया है जो नई फाइलों की व्यवस्था के लिए अधिक स्थान प्रदान करता है।

मंत्रालय के इस विचार के कार्यान्वन हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा सम्बद्ध फर्म मै. ऐकिको शरमन इन्फोटेक को चिन्हित किया गया तथा एन आई सी की मदद भी वेबसाइट के उपक्रमण के लिए ली गई।

अकीको शेरमेन इंफोटेक ने एक ई–कोर्ट प्रोग्राम विकसित किया है जो परीक्षण के चरण के अंतर्गत है और शीघ्र ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। आयोग के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, मैसर्स अकीको शेरमेन इन्फोटेक ने गतिशील दृष्टि से आयोग की नई वेबसाइट विकसित की है। नई वेबसाइट का विकास करते समय, आयोग ने सभी सूचनाओं को एक जगह पर रखने पर जोर दिया, जो सामान्यतः आवेदकों द्वारा आयोग की सुनवाई के दौरान मांगा जा रहा है।

इस उद्देश्य के लिए, नई वेबसाइट में अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र और अपील, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के अधिकारों का विवरण, एमएससी और अपील के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, एमएससी के उद्देश्य और रद्द करने के प्रावधान हैं। साथ ही इसमें न्यासों, राज्य सरकारों द्वारा घोषित नोडल अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी का विवरण भी शामिल हैं। वेबसाइट के दोनों संस्करण अंग्रेजी और हिंदी, काम कर रहे हैं।

एनआईसी के साथ वेबसाइट को अपडेट करने और डिजिटल इंडिया के बारे में माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, सभी फाइलों को डिजीटल करने का भी निर्णय लिया गया है, जिनके तहत आयोग द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए, आयोग ने मुंबई के मैसर्स

एनहिरा सॉफ्टवेयर को पुरानी फाइलों के नोटिंग और पत्राचार हिस्सों को स्कैन करने के लिए संविदा दी । वर्ष 2015 तक मैनुअल फाइलो को डिजीटलीकृत कर लिया गया है।

ई–कोर्ट शुरू करने के लिए, आयोग ने कार्यालय के सभी कंप्यूटरों को लैन से जोड़ दिया है। इसके लिए पॉवर ग्रिड और एमटीएनएल से लीज लाइन ली गई है।

कार्यालय में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली भी स्थापित की गई है। कार्यालय के प्राशासनिक काम को डिजिटाइज करने के लिए, ई–कार्यालय सफलतापूर्वक आयोग में शुरू किया गया है और प्रशासन विभाग की सभी फाइलें अब ई–ऑफिस में पेश की जाती हैं ।

एमएससी के निर्णय में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आयोग ने अल्पसंख्यक संस्थान चलाने वाले समाज/ट्रस्ट का यादृच्छिक सत्यापन किया है। इसके अलावा, नीति आयोग पत्र सं एम –11/16(2)/15–वीएसी के दिनांक 24.08.2016 के अनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण की वेबसाइट www.ngo.india.gov.in द्वारा दी गई विशिष्ट पहचान को प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस वेब साइट को नीति आयोग द्वारा मुहैय्या कराया गया है। जो अल्पसंख्यक संस्थानों को चलाता है या जो सोसायटी का पदाधिकारी है, उसके नाम से सम्बद्ध ट्रस्ट/सोसायटी का नाम और पता यह वेबसाइट प्रदान करता है। इसलिए यह आयोग से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा प्रदान की गई संबंधित विवरण के प्रति सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है।

अध्याय 5

यात्रा एवं दौरें

माननीय अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा विभिन्न दौरों का मकसद अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से मिलना एवं उनकी समस्याओं को समझना तथा उस पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इससे आयोग भी अपने कार्यक्षेत्र एवं जिम्मेदारियों से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अवगत कराता है तथा उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। इसी बहाने राज्य सरकार के राजनैतिक कार्यपालिका एवं नौकरशाहों से भी चर्चा का अवसर मिल जाता है। अध्यक्ष/सदस्यों के दौरों ने राज्य सरकार के मुलाजिमों को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में निहित अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में अवगत होने का मौका भी दिया।

माननीय सदस्यों द्वारा वर्ष 2015–2016 दौरान किये गये विभिन्न दौरों का विवरण

माननीय सदस्य डॉ. बलतेज सिंह मान द्वारा किये गये विभिन्न दौरों और बैठकों का विवरण

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रम	रिपोर्ट
1.	07.04.2016	राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भारतीय कानून के वक्तव्य' के पुस्तक विमोचन समारोह में भाग लिया	माननीय राष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणी में हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला
2.	13.04.2016	गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन, दिल्ली में वैशाखी समारोह के अध्यक्ष	इस समारोह के दौरान, डॉक्टर मान ने बच्चों को संबोधित किया और पढ़ने और लेखन की स्वस्थ आदतों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
3.		गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में वैशखी उत्सव ''वैशाखी दे रंग, बच्चेयां दे संग''	मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माता–पिता और बच्चों को प्रोत्साहित किया
4.	17.04.2016	कर्नल सिंह स्टेडियम, दिल्ली में सामाजिक समरसता (राष्ट्रीय अस्मिता) व्याख्यान में चर्चा	डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहेंगे

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रम	रिपोर्ट
5.	17.04.2016	दिल्ली मोटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एसपी पार्क ग्राउंड, पीतमपुर, नई दिल्ली में वैशाखी समारोह में भाग लिया	पारिवारिक मूल्यों का जन्म सामाजिक मूल्यों के लिए सर्वोपरि है
6.	22.04.2016	माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया	आरटीआई और अन्य उपायों का उपयोग करके देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए युवाओं का एक आह्वान किया
7.	28.04.2016	दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) द्वारा आयोजित कैरियर मार्गदर्शन मेला 2016 में अध्यक्ष	इस कैरियर मेले के दौरान, डॉक्टर मान ने विभिन्न सिख अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न स्टालों का दौरा किया। उन्होंने आयोजकों की सराहना की और कैरियर मार्गदर्शन मेले के साथ कार्यशालाओं को व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया।
8.	30.04.2016 से 01.05.2016	पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, गुरु तेग बहादुर हॉल में अखिल भारतीय पंजाबी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटियाला की यात्रा की	प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मान ने कहा कि भाशाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए NCMEI एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
9.	30.04.2016 से 01.05.2016	गुरु तेग बहादुर हॉल पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में अखिल भारतीय पंजाबी सम्मेलन में अध्यक्ष	भारत के विकास में भाषाई अल्पसंख्यकों की भूमिका पर जोर दिया
10.	06.05.2016	हंस राज कॉलेज, दिल्ली में बौद्धिक और अकादमी समूह (जीआईए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रवाद पर विशेष व्याख्यान	युवाओं के बीच राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जन्म भारत के लिए सर्वोपरि है

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रम	रिपोर्ट
11.	13.05.2016	श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र, छतरपुर, नई दिल्ली में प्रेरक व्याख्यान	डॉक्टर मान ने प्रेरक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने सिख गुरुओं की शिक्षाओं को जिक्र किया ताकि लोगों को बेहतर दुनिया बनाने के लिए शिक्षित किया जा सके।
12.	15.06.2016	सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया में अध्यक्ष	भारतीय डायस्पोरा की भूमिका भारत के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
13.	08.07.2016	दिल्ली विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के मुद्दों को हल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठक	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारियों के उपाध्यक्ष को अपने स्वयं के अल्पसंख्यक संस्था स्थापित और प्रशासन करने के लिए अनुमोदित किया।
14.	14.07.2016	फ्रांसीसी दूतावास, दिल्ली में फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस सम्मेलन में भाग लिया	फ्रांस में अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में जानने के लिए महामहिम राजदूत के साथ बातचीत
15.	17.07.2016	संकल्प लीडरशिप कैंप में भाग लिया, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली	समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे सिविल सेवकों के साथ बातचीत की
16.	23.07.2016 से 25.07.2016	श्री आशापुरा माताजी तीर्थधाम ट्रस्ट, बैंगलोर द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक सेमिनार–कम–कार्यशाला में अध्यक्ष	श्री आशापुरा माताजी तीर्थधाम ट्रस्ट, बंगलौर में अल्पसंख्यक समुदायों को संबोधित करते हुए, डॉक्टर मान ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और अन्य अल्पसंख्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जैन मुनिजी जंगल वाले के प्रयासों की सराहना की।

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रम	रिपोर्ट
17.	26.07.2016	प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संविधान क्लब में 'चार धार्मिक परंपराओं में करुणा'	भारत की धार्मिक परंपराएं भारत को दुनिया द्वारा नेतृत्व करने वाला मानने के लिए प्रेरित कर सकती हैं
18.	15.08.2016	15 अगस्त, 2016 को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए	हमारे माननीय प्रधान मंत्री के विचारोत्तेजक भाषण, जिसमे उन्होंने पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन की चिंताओं को उठाया
19.	21.09.2016	राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नियोजन और प्रशासन के कुलपति और संकाय (एनयूईपीए) नई दिल्ली के साथ बातचीत	एनयूईपीए कुलपति और संकाय विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं
20.	02.10.2016	2 अक्टूबर, 2016 को महात्मा गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर समारोह में भाग लिया	शांति और सौहार्द के लिए प्रार्थना की गई और सेना की सलामी बहुत प्रभावशाली रही
21.	05.11.2016	नई दिल्ली में वाईएमसीए के वार्षिक दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने के लिए वायएमसीए को प्रोत्साहित किया गया।
22.	09.11.2016	माता गूजरी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली में वार्षिक दिवस समारोह में अध्यक्ष	बच्चों के बीच स्वस्थ पठन और लेखन कौशल पर जोर दिया
23.	25.11.2016	गुरु गोबिंद सिंह पर भाई वीर सिंह सदन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 'जीवन और विरासत' में आईआईसी, नई दिल्ली में भाग लिया	गुरु गोबिंद सिंह जी के संगोष्ठी पर सार्वभौमिक शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया

क्रम संख्या	दिनांक	कार्यक्रम	रिपोर्ट
24.	08.01.2017	गाजियाबाद में शिक्षा संस्थान का दौरा किया	यह एक अल्पसंख्यक संस्था का एक अनूठा दौरा था जो सामाजिक कार्य पर केंद्रित था
25.	12.01.2017	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, नई दिल्ली में 'भारत में समावेशी विकास का विचार : एक समानाधिकारवादी समाज और राष्ट्र की ओर' यूजीसी प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्ष	उच्च शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक योजनाएं, छात्रवृत्तियां और अध्यतावृत्ति का लाभ उठाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया गया।
26.	12.01.2017	जन कल्याण शिक्षा समिति दिल्ली द्वारा ग्राम झांजोली (हरियाणा) में आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम में अध्यक्ष	गुरु गोबिंद सिंह पर व्याख्यान दिया और उनकी शिक्षाओं और शहादत को याद किया।
27.	17.01.2017	एनसीएम, दिल्ली द्वारा आयोजित विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया	राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के साथ बातचीत और उन्हें छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
28.	09.03.2017	वर्ल्ड पंजाबी फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारतीय संविधान क्लब में सिख हेरिटेज पर सम्मेलन में अध्यक्ष	गुरुद्वारा की मदद से सिख समुदाय के विकास की पहल पर प्रकाश डाला गया
29.	20.03.2017	नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जत्थेदार संतोख सिंह मेमोरियल (जेएसएस) समारोह में अध्यक्ष	जत्थेदार संतोख सिंह मेमोरियल (जेएसएस) ने अल्पसंख्यक स्कूलों के विकास और दिल्ली के आसपास सिख गुरुद्वारों के लिए बहुत काम किया है

माननीय सदस्य डॉक्टर बलतेज सिंह मान, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, नई दिल्ली के पुरस्कार वितरण समारोह में

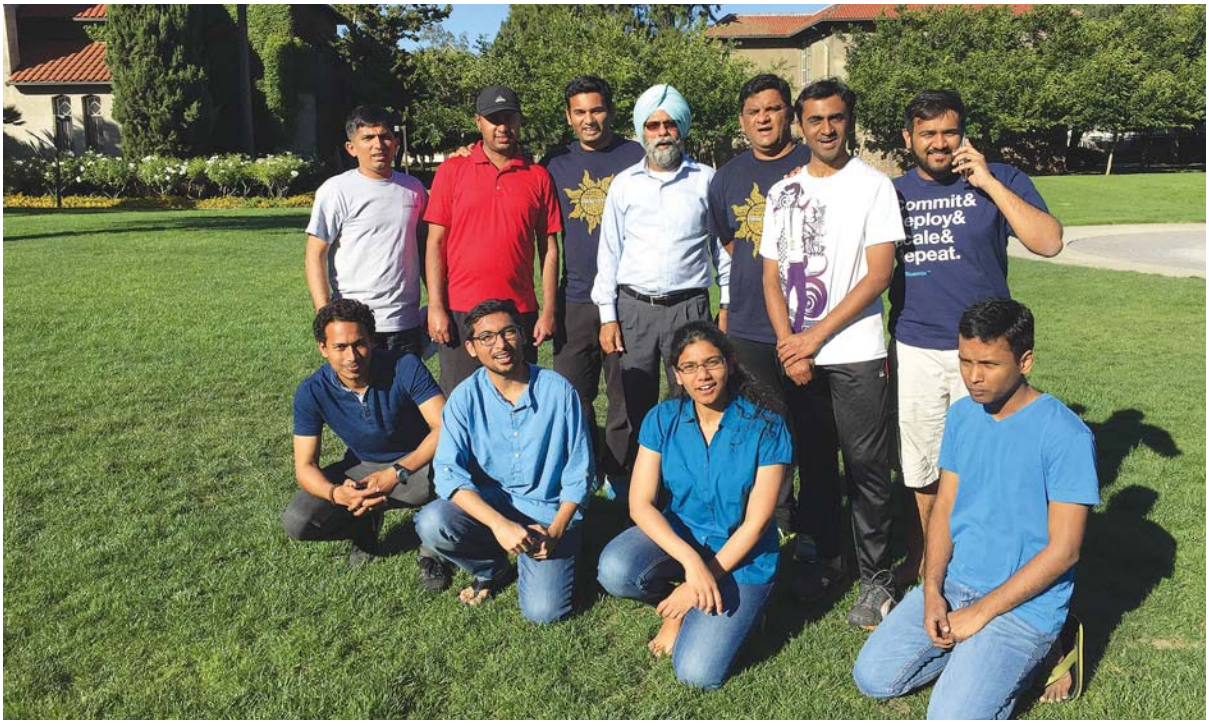

सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया (यू–एस–ए–) में माननीय सदस्य डॉक्टर बलतेज सिंह मान

माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र, छतरपुर, नई दिल्ली में एक प्रेरक व्याख्यान दिया।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र, छतरपुर, नई दिल्ली में शासकीय निकाय के साथ माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान

माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान ने महात्मा गांधी जयंती (30 जनवरी, 2016) की पूर्व संध्या पर समारोह में भाग लिया।

माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान ने संकल्प शिक्षा संस्थान, अल्पसंख्यक संस्थान, गाजियाबाद का दौरा किया

माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान ने वाईएमसीए, नई दिल्ली में वार्षिक दीक्षान्त–भाषण दिया

माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान द्वारा वाईएमसीए, नई दिल्ली के छात्रों को डिग्री वितरण

माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान माता गूजरी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली के वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता में

माननीय सदस्य डॉ बलतेज सिंह मान ने ''भारत में समावेशी विकास का विचार : एक समानाधिकारवादी समाज और राष्ट्र की ओर'' श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, नई दिल्ली में यूजीसी प्रायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी (पदम् श्री यश भारती पुरस्कार से सम्मानित) के दौरे और बैठकों का विवरण

क्रम संख्या	दिनांक	यात्रा का स्थान	प्रयोजन
1.	15 अगस्त, 2016	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, महामहिम श्री राम नाइक जी के निमंत्रण पर राजभवन, लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया	माननीय राज्यपाल ने नागरिकों से कहा कि उनके मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों के लिए प्रयास करें जैसा कि भारत के संविधान में उल्लिखित है। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने और लागू करने के संबंध में माननीय राज्यपाल के साथ एक चर्चा हुई थी।
2.	3 सितंबर, 2016	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली	चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह 2016 में भाग लिया
3.	5 अक्टूबर, 2016	एनसीएम 2016–17 के 9वें वार्षिक व्याख्यान, विज्ञान भवन, नई दिल्ली	'भारत में अल्पसंख्यक अधिकार और लोकतंत्र' पर एक व्याख्यान में भाग लिया
4.	25 अक्टूबर, 2016	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 64 वीं बैठक, विज्ञान भवन, नई दिल्ली	सीएबीई के सदस्य के रूप में पूर्व–निर्धारित एजेंडे पर बैठक में भाग लिया
5.	6–8 दिसम्बर, 2016	ए.ओ. मुस्लिम बालिका इंटर कॉलेज, लल्लापुरा, वाराणसी	शैक्षिक जागरूकता पर तीन दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि
6.	24 दिसंबर, 2016	इस्लामिक सोसाइटी, अहराउरा जिले, मिर्जापुर द्वारा आयोजित एक शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की	डॉ नाहीद आबिदी ने मुसलमानों के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
7.	7 जनवरी, 2017	नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अतिथि के रूप में	माननीय राज्य मंत्री, एचआरडी ने हमारे जीवन में पुस्तकों के महत्व

क्रम संख्या	दिनांक	यात्रा का स्थान	प्रयोजन
		नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया।	पर बल दिया
8.	17 जनवरी, 2017	प्रगति मैदान, नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने उद्घाटन किया	अल्पसंख्यक मामलों के राज्य और संसदीय मामलों के मंत्री श्री एमए नकवी ने उद्घाटन भाषण दिया।
9.	26 जनवरी, 2017	हॉल 6, द्वितीय तल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया	राजपथ में सुबह समारोह और राष्ट्रपति भवन में रात्रिभोज में शामिल हुई
10.	5 मार्च, 2017	राजपथ और राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई.	'अल्पसंख्यक अधिकार' पर एक व्याख्यान दिया
11.	17–19 मार्च, 2017	आफताब हॉल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	एनसीपीयूयूएल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'भारत और विदेशों में उर्दू भाषा और साहित्य' पर तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया
12.	20 मार्च, 2017	विश्व उर्दू सम्मेलन, अशोक होटल और स्कोप ऑडिटोरियम, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली प्रथम वार्षिक दीक्षांत समारोह, अल–फलाह विश्वविद्यालय, धोज, फरीदाबाद	अल–फलाह विश्वविद्यालय, धोज, फरीदाबाद में वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

विवरण :

15 अगस्त, 2016 : माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी (पद्म श्री और यश भारती पुरस्कार) ने राजभवन, लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। उन्हें माननीय राज्यपाल के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। माननीय राज्यपाल ने नागरिकों से कहा कि वे अपने मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करें जो भारत के संविधान में निर्धारित किया गया है। डॉ आबिदी ने राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा

संस्थानों की मौजूदा स्थिति के संबंध में माननीय राज्यपाल के साथ चर्चा की।

3 सितंबर 2016: माननीय सदस्य डॉ नाहीद अबिदी ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह 2016 में भाग लिया। यह एनएलयू, दिल्ली के सभागार में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर थे, उन्होंने भी दीक्षांत समारोह में भाषण दिया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस जे एस खेहर द्वारा की गई।

5 अक्टूबर, 2016: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी ने निमंत्रण पर एनसीएम (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) के 9वें वार्षिक व्याख्यान 2016–17 में भाग लिया। प्रोफेसर पीटर रोनाल्ड डिसूजा (दिल्ली विश्वविद्यालय) द्वारा "भारत में अल्पसंख्यक अधिकार और लोकतंत्र" विषय पर व्याख्यान दिया गया था और श्री मुख्तार अब्बास नकवी (अल्पसंख्यक मामलों के लिए माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्री) ने भी इसी विषय पर चर्चा में भाग लिया। वार्षिक व्याख्यान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

6 से 8 दिसंबर, 2016: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी को मुस्लिम अकादमी, लल्लपुरा, वाराणसी द्वारा ए ओ मुस्लिम बालिका इंटर कॉलेज, लल्लापुरा के संगोश्ठी कक्ष में आयोजित तीन दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया

गया था। इसमें स्थानीय मुस्लिम विद्वानों, शिक्षाविदों और प्रमुख स्कूल प्रबंधन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ आबिदी ने अपने संबोधन में धार्मिक शिक्षा के साथ बहुमुखी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। आथितेय संस्था के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय गान के समूह गान के साथ संगोष्ठी समाप्त हुई।

24 दिसंबर 2016: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी ने इस्लामिक सोसाइटी, अहराउरा जिले, मिर्जापुर द्वारा आयोजित एक शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डा आबिदी ने मुस्लिमों के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।

7 जनवरी 2017: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी ने नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मेहमान के रूप में भाग लिया। पुस्तक

मेला का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में डॉ। महेंद्र नाथ पांडे, राज्य मंत्री ,मानव संसाधन विकास, द्वारा किया गया।

17 जनवरी 2017: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री एम ए नकवी ने उद्घाटन भाषण दिया।

26 जनवरी 2017: माननीय सदस्य डॉ नाहीद

आबिदी ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड और समारोह में भाग लिया, फिर रात्रि भोजन राष्ट्रपति भवन में उसी शाम किया ।

5 मार्च, 2017: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी को आफताब हॉल, एएमयू, अलीगढ़ के छात्रों को 'अल्पसंख्यक अधिकार' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉ आबिदी ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के माध्यम से उपलब्ध शैक्षिणिक अधिकारों के बारे में जागरूक होने के महत्व पर जोर दिया। व्याख्यान के दौरान उपस्थित प्रोवोस्ट प्रोफेसर मेरज अहमद ने कार्यक्रम की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन किया ।

17 से 19 मार्च, 2017: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी ने एनसीपीयूयूएल (राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन आयोग) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन (अशोक होटल –उद्घाटन सत्र, और स्कोप ऑडिटोरियम, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली –शेष सत्र) में भाग लिया। सम्मेलन 'भारत और विदेशों में उर्दू भाषा और साहित्य' विषय पर आयोजित किया गया था। उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, भारत सरकार द्वारा किया गया था।

20 मार्च, 2017: माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी ने अल–फलाह विश्वविद्यालय, धोज, फरीदाबाद के प्रथम वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया।

डॉ मुरली मनोहर जोशी ने सपत्नीक एक समारोह में माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी को सम्मानित किया

माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी, सदस्य सीएबीई, माननीय मंत्री एचआरडी के साथ

माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री एम ए नकवी को मंत्रिमंडल की पदोन्नति और अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए बधाई दी

एनसीपीयूयूएल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "भारत और विदेश में उर्दू भाषा और साहित्य" पर तीन दिवसीय सम्मेलन में माननीय सदस्य डॉ नाहीद आबिदी

तो घबराएं नहीं, बल्कि बचाव का प्रयास करें। इस दौरान आपदा प्रबंधन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस मौके पर उपनिदेशक अग्निशमन योगेंद्र बाबू द्विवेदी, राकेश राय, योगेंद्र चौरसिया, रमाशंकर तिवारी के अलावा विद्यालय के चेयरमैन विनीता चोपड़ा, मृदुलेश आदि मौजूद थे।

दाराशिकोह के नाम पर मार्ग बनने से खुशी

वाराणसी : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग की सदस्य व पद्मश्री डा. नाहीद आबिदी तथा राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के सदस्य एड. एहतेशाम आबिदी ने बयान जारी कर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि मीनाक्षी लेखी के प्रयास से आजादी के 70 वर्षों बाद भारतीय संस्कृति के पोषक शहजादा दाराशिकोह के नाम पर दिल्ली में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दाराशिकोह मार्ग के रूप में किया गया है।

दैनिक हिंदुस्तान में समाचार, वाराणसी अंक

अमर उजाला | युवा

रविवार वाराणसी 31 जनवरी 2016

मुस्लिम युवाओं को तकनीकी शिक्षा की जरूरत

वाराणसी (ब्यूरो)। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की सदस्य एवं संस्कृत विद्वान डॉ. नाहीद आबिदी ने कहा कि मुस्लिम युवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने मुस्लिम अभिभावकों का आह्वान किया कि वे तकनीकी के साथ आधुनिक एवं उच्च शिक्षा अपने बच्चों को मुहैया कराएं। शहर में विभिन्न अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मंत्र सबका साथ और सबका विकास तभी सार्थक होगा जब मुसलमान अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मुसलमान जब तक तकनीकी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उनके समाज और देश का विकास नहीं होगा। तभी वे सही मायने में तरक्की से जुड़ पाएंगे।

अमर उजाला में समाचार, वाराणसी अंक

अध्याय 6

याचिकायें और शिकायतें

स्थापना के साथ ही आयोग मामलों को दर्ज करता रहा है। 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान आयोग ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्रों देने के लिए 801 याचिकाएं स्वीकार कीं और 1660 याचिकाओं का निपटारा किया तथा 1094 शैक्षिणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जे का प्रमाण पत्र जारी किया।

आयोग ने विभिन्न मुद्दों पर केस दर्ज किए यथा –

- राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं करना
- एनओसी जारी करने में देरी, अल्पसंख्यक दर्जे से इनकार और देरी
- अल्पसंख्यकों द्वारा नए कॉलेजों/स्कूलों/संस्थानों को खोलने की अनुमति देने से इनकार
- अल्पसंख्यक संस्थानों में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की अनुमति देने से इनकार
- अनुदान जारी करने में इनकार/देरी
- वित्तीय सहायता देने से इनकार
- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के नए पद सृजित करने की अनुमति न देना जबकि छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो
- शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन से इनकार
- सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की तुलना में अल्पसंख्यक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में असमानता
- सरकारी संस्थानों के समकक्ष अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए कंप्यूटर, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि जैसे शिक्षण सुविधाओं/अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धि
- उर्दू विद्यालयों के छात्रों के लिए सभी विषयों पर उर्दू में पुस्तकों की अनुपलब्धता
- उर्दू सिखाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों के बराबर मदरसा शिक्षकों को भुगतान करना, मदरसा कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से भुगतान करना, मदरसे को अनुदान जारी नहीं करना
- अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान न करना

- विश्वविद्यालयों द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को संबद्धता देने से इंकार
- सर्व शिक्षा अभियान सुविधाओं का विस्तार अल्पसंख्यक संस्थानों. विशेषकर दूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में न करना ।

वर्ष के दौरान आयोग को ऐसे मामले और याचिकाएं भी मिले जो आयोग के न्यायाधिकार से बाहर थे । इन्हें सम्बन्धित अधिकरणों को उचित कार्रवाई और तदुपरांत सम्बन्धित याचिका कर्ता के सूचनार्थ प्रेषण हेतु भेज दिया गया ।

वर्ष के दौरान निपटाए गए कतिपय मामलें अधोविवृत हैं –

6.1 F. No. 238 OF 2016

रूप में संदर्भित विषय : समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

जी एस बक्षी, सेंट कबीर पब्लिक स्कूलकृ ....वादी

बनाम

सहायक संपत्ति अधिकारी, गणराज्य चंडीगढ़ ..... प्रतिवादी

कबीर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाली एक अल्पसंख्यक शैक्षिणिक संस्था (10.9.2014 को NCMEI द्वारा प्रमाणीभूत) संत कबीर पब्लिक स्कूल द्वारा दायर 26.2.2016 को दिनांकित निवेदन से मौजूदा कार्यवाही उद्भूत हुई। दिनांक 26.2.2016 को विद्यालय द्वारा दायर शिकायत के अनुसार उन्हें 26.8.2015 को ज्ञापन सं. 20227/जी–III/आरसीई –340/ 2015 के मार्फत एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। आवंटन पत्र की शर्तें चंडीगढ़ योजना, 1996 (बाद में 1996 योजना के)/चंडीगढ़ एस्टेट नियम, 2007 (इसके बाद 2007 के नियमों के रूप में संदर्भित में लीज होल्ड के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) आदि को भूमि की आवंटन के तहत नोटिस भेजा गया है।) और पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (इसके बाद 1952 एसी के रूप में संदर्भित) के खंड 8 ए1 दिनांक 26.8.2015 का कारण बताओ नोटिस निनोक्त है –

जबकि आपको सिकंदर 26, चंडीगढ़ में स्कूल के निर्माण के लिए भूमि आवंटन पत्र संख्या 1778/आरसीई –340/जी–III/दिनांक 13.10.19 88 के लिए लीज होल्ड के आधार पर 99 साल के लिए आवंटित किया गया था।

जबकि आवंटन पत्र के नियम एवं शर्त संख्या 29 के अनुसार संस्था में प्रवेश ऐसे निर्देश/निर्देश के अधीन होगा, जो जिला शिक्षा अधिकारी या निदेशक सार्वजनिक शिक्षा (स्कूल) चंडीगढ़ प्रशासन समय–समय पर जारी कर सकता है।

और जबकि अधिसूचना क्रमांक 311/1/2 91/यूटीएफआई (4)/2005/5441 दिनांकित 09.07.2005 चंडीगढ़ प्रशासन ने सोसाइटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दी है। अनुच्छेद निम्नानुसार है–

" जैसा कि समय–समय पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, सोसायटी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 15% सीटें आरक्षित होना चाहिए और एतदर्थ छात्रो से नाममात्र या वांछनीय रूप से सरकारी विद्यालयों के समकक्ष शुल्क लिया जाना चाहिए तथापि विद्यालय किसी भी अकादमिक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित इन 15%

सीटें भरने में असमर्थ हैं, तो इसे चंडीगढ़ प्रशासन के ध्यान में लाया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी की सहमति कारणों को लिखित रूप में बताते हुए विशेष शैक्षिक वर्ष में उक्त आरक्षण को न्यून या शून्य किया जाएगा ।"

19.01.2014 के निदेशक सार्वजनिक निर्देश (स्कूल) के अनुदेश/पत्र के अनुसार, आपने चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना के साथ अनुपालन नहीं किया है। इस प्रकार आपने आवंटन पत्र की स्थिति संख्या 26 का उल्लंघन किया है। अतः अधिसूचना धारा 8–ए के तहत प्रदत्त शक्ति के अधीन यह नोटिस जारी की जाती है । नोटिस जारी करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर आपको कारण बताना है कि क्यों पंजाब राजधानी विकास और विनियमन अधिनियम, 1952 की धारा 8–ए के साथ संपत्ति नियमों के नियम 14 के अधीन कार्रवाई न की जाए और साइट का पट्टा रद्द नहीं किया जाए और ब्याजसह अन्य देय राशि के साथ धनराशि का 10% तक साइट की बिक्री के संबंध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 8–ए के तहत जब्त न की जाए ।

आपको 10.9.15 कद 4 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्ति गत तौर पर सुनवाई में आने का मौका दिया जाता है ।

कृपया ध्यान दें कि यदि आपका नियत तारीख और समय पर व्यक्ति तौर पर अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी ।

यह नोटिस से स्पष्ट है कि विद्यालय जो अल्पसंख्यक संस्थान है, उसके लिए आबंटन पत्र की शर्त सं. 9 की शर्तों के अनुसार अपने विद्यालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः –

श्संस्थान में प्रवेश ऐसे निर्देशों/निर्देशों के अधीन होगा जो निदेशक सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय/कॉलेज), चंडीगढ़, समय–समय पर जारी कर सकते हैं

2. उपरोक्त नोटिस दिनांक 26.8.2015 को चंडीगढ़ लीज होल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग नियम, 1973 – की धारा 20 के तहत 15.9.2015 की दूसरी नोटिस के बाद किया गया था – 1996 की योजना/2007 नियम / धारा 8–ए 1952 के अधिनियम के तहत स्कूलों को भूमि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन।

3. शिकायतकर्ता के 26.2.2016 की शिकायत की प्राप्ति पर, निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, अतिरिक्त डीलक्स भवन, सेक्टर 9, चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया गया था कि रिकॉर्ड के अनुसार विद्यालय को 10.4.2014 को अल्पसंख्यक दर्जे का प्रमाण पत्र दिया गया हैय कि प्रमती शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट और अन्य बनाम भारतीय संघ (2014 – एसआईसी एससीडब्ल्यू 2859 द्वारा सूचित) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को निरू शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (बाद में 2009 अधिनियम के रूप में संदर्भित) जिसके तहत शिक्षा का अधिकार दिया है, अनुदानित या अननुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय के लिए लागू नही होना चाहिए और ऐसे विद्यालयों को समाज के सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस फैसले को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों को 2009 अधिनियम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु आरक्षण के अधीन नही लाया जा सकता । इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि शिकायतकर्ता को 13.10.1 9 88 को भूमि आवंटित की गई थी एतैव 2006 के चंडीगढ़ प्रशासन की आवंटन योजना के तहत वह

नही है । तदनुसार, निदेशक से अनुरोध किया गया कि वे आयोग में पेश हो ।

4. सहायक सम्पदा अधिकारी, चंडीगढ़ गणराज्य ने उत्तर दिया कि –

(क) इस आयोग की अधिकार क्षेत्र का 1952 अधिनियम की धारा 19 के मद्देनजर वर्जन है।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण आवंटन और भूमि नियमों के तहत किया जा रहा है, जो चंडीगढ़ शहर में प्रचलित है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं है। नियमों की एक प्रति संलग्नक आर –1 के रूप में जोड़ा गया है वही नियम नहीं हैं लेकिन 'चंडीगढ़ योजना, 1996 में लीज होल्ड के आधार पर शैक्षिक संस्थानों (स्कूलों) आदि को जमीन का आवंटन' है।

(ग) याचिकाकर्ता संस्थान को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता संस्थान को आवंटन आदेश के नियम और शर्तों का पालन करना होगा।

(घ) याचिकाकर्ता स्कूल के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और चंडीगढ़ के सभी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर धाराओं के लिए आरक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं।

(ङ) ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का सवाल पंजाब और हरियाणा के 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4909 के उच्च न्यायालय के सामने आया था। निर्देश था कि संस्थान, जिन्हें रियायती दर पर भूमि आवंटित कर दी गई है, को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करना होगा लेकिन 25% से अधिक नहीं ।अगर याचिकाकर्ता को 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4909 में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पीड़ित किया गया है, तो याचिकाकर्ता विद्यालय को माननीय सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करना चाहिए।

5. प्रत्युत्तर में शिकायतकर्ता विद्यालय यह कहा गया है कि:

(क) अनुलग्नक आर –1 की दिनांक 31.1.1996 है, जबकि याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन को 1988 तक बना दिया गया था और इसलिए शिकायतकर्ता पर यह लागू नहीं किया गया था।

(ख) आवंटन किसी भी रियायत दरों पर नहीं किया गया था। आवंटन अनुलग्नक आर –1 के पत्र में कोई रियायती दरों या रियायत की सीमा का उल्लेख नहीं है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में आवंटन पत्र में कोई शर्त नहीं है।

(ग) नियमों को फ्रेम करने की शक्ति 1952 के अधिनियम 22 की धारा 22 में निहित है। इसमें सीटों का आरक्षण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 1952 अधिनियम की धारा 22 के अनुसार योजना अनुलग्नक आर –1 कोई नियम नहीं है।

(घ) सहायक एस्टेट अधिकारी, यू.टी. के उत्तर में कोई आक्षेप नहीं है। चंडीगढ़ में उन स्कूलों में उल्लिखित अन्य विद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान भी हैं और किसी भी मामले में, अन्य स्कूलों द्वारा अवैध आदेश स्वीकार करने से मौजूदा शिकायत दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

(ङ) निर्देश अनुलग्नक आर–5 दिनांक 15.2.2008 जन निर्देश द्वारा जारी किए गए हैं सरकार द्वारा नहीं। सरकार में निदेशात्मक निर्देश जारी करने के लिए शक्ति और निदेशक सार्वजनिक निर्देश नहीं।

(च) ब्रिगेडियर गुरचरण सिंह गोस्ल और अन्य बनाम सहायक एस्टेट अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़ (रिजॉइंडर के साथ संलग्नक ए 1) के मामले में, यह माना गया है कि 2007 के नियम 7.11.2007 को किए गए या बाद में किए गए ताजा नीलामी / आबंटन पर लागू होते हैं।

(छ) स्कूल को किसी भी रियायती दर पर जमीन आवंटित नहीं की गई थी।

(ज) स्कूल ने यह नहीं बताया है कि वे दिनांक 15.2.2008 के निर्देशों का पालन करेंगे। याचिकाकर्ता के इस आशय का कोई बयान नहीं दिया गया है। इसके बजाय याचिकाकर्ता की ओर से एक विशिष्ट बयान किया गया था कि स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है और स्कूल को ईडब्ल्यूएस कोटा से छूट दी गई है। सुनवाई के मिनट प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने 29.1.2016 (अनुलग्नक ए –2) पत्र लिखा था, जहां स्कूल ने कहीं भी नोटिस में लिखित रूप में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार नहीं किया है या मौखिक रूप से।

(झ) यह मामला सेंट्रल कोलंबस स्कूल बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य प्रतियों (कॉपी एनेक्शर ए –3) में सीडब्ल्यूपी नंबर –131/2014 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा कवर किया गया है।

6. दोनों पक्षों के तर्क आयोग द्वारा सुनाए गए थे और हमारी राय यह है कि:

1. याचिकाकर्ता विद्यालय एक अल्पसंख्यक विद्यालय है, जिसे आयोग द्वारा 10.04.2014 के अपने प्रमाण पत्र के अनुसार विधिवत प्रमाणित किया गया है। जैसे कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा के हकदार है, जो निम्नानुसार है:

- शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार – (1) सभी अल्पसंख्यकों, चाहे धर्म या भाषा के आधार पर, को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार होगा।

- (1–ए) खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित एक शैक्षिक संस्थान के किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रदान

किए गए किसी भी कानून को बनाने में, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि इस तरह की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए इस तरह के रूप में धारा के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द नहीं होगा।

- (2) राज्य, शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में, किसी भी शैक्षिक संस्था के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, यह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हो।

आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (5) निम्नानुसार है :

लिंग या जन्म धर्म, जाति, जाति स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध : –

(1) से (4) ... ...

(5) इस आलेख में या अनुच्छेद 1 के खंड (1) के उपखंड (जी) में राज्य द्वारा किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए या किसी विशेष प्रावधान को कानून से नहीं रोकना चाहिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जहां तक ऐसे विशिष्ट प्रावधान, अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अलावा, निजी संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या अनुदान प्राप्त हो।

यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 15 (5) विशेष रूप से राज्य को शैक्षिक संस्थानों में अपने प्रवेश से संबंधित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कानून का कोई प्रावधान करने से रोकता है, जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं। अनुच्छेद के प्रावधान के मद्देनजर यह राज्य के लिए खुले नहीं है ताकि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों में प्रवेष के लिए कोई प्रावधान किया जाए जो याचिकाकर्ता संस्थान के रूप में है। इसके अलावा इस मामले पर प्रतिष्ठित शैक्षिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के मामले (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया है। उक्त रिपोर्ट के पैरा 46 निम्नानुसार है :–

> ''46 जब हम 2009 के अधिनियम को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि धारा 2 (एन) (iii) के साथ धारा 12 (1) (बी) पढ़ा जाता है जो एक अनुदानित स्कूल को सहायता प्रदान करता है और अनुदान, पूरे या भाग, अपने खर्चों के उपयुक्त से सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को उन बच्चों के ऐसे अनुपात में निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी पड़ती है, जिसमें वार्षिक पुनरावर्ती सहायता या उसके वार्षिक आवर्ती खर्च को प्राप्त अनुदान, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन। इस प्रकार, एक अल्पसंख्यक सहायता

प्राप्त स्कूल को उन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत रखा गया है, जिनके पास अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की जरूरत नहीं है, जिसने स्कूल की स्थापना की है। हम यह भी पाते हैं कि धारा 2 (एन) (iv) के साथ धारा 12 (1) (सी) के तहत पढ़ा जा सकता है, एक अनुदानित विद्यालय को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के कक्षा 1 की कक्षा में पच्चीस प्रतिशत आस – पास। इसलिए, गैर–अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों के पास पड़ोस में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को स्वीकार करने के लिए कानूनी दायित्व होगा, जिनके पास अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की जरूरत नहीं है, जिसने स्कूल की स्थापना की है। संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (5) की वैधता पर चर्चा करते हुए, हमने यह धारण किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्य जो स्कूल स्थापित किया है, अल्पसंख्यक संस्था पर मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्कूल के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट कर सकता है । हमारे विचार में, यदि 2009 अधिनियम अल्पसंख्यक विद्यालयों, अनुदानित या अनुदानित, के लिए लागू किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए, 2009 में अधिनियम अब तक इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू किया जाता है, क्योंकि संविधान का अभाव है। हम इस प्रकार इस बात का मानते हैं कि राजस्थान के गैर–अनुदानित निजी स्कूलों के लिए सोसाइटी में भारत में इस अदालत के बहुमत का निर्णय। भारतीय संघ और अन्र (सुप्रा) के रूप में यह मानता है कि 2009 सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू है, सही नहीं है।''

इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधान मंडल को खारिज कर दिया है जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

1. कि जहां तक पंजाब और हरियाणा में माननीय उच्च न्यायालय के 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4909 के निर्णय का निर्णय 5.12.2013 को हुआ है, यह कहा गया है कि इस फैसले का एक नंगे पठन यह स्पष्ट करता है कि यह सामान्यतः स्कूल और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों के मुद्दे का फैसला इस फैसले में नहीं किया गया है। तदनुसार, यह निर्णय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों जैसे कि याचिका स्कूल के लिए लागू नहीं है। किसी भी मामले में, यह फैसले स्वयं कहता है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 2009 अधिनियम के प्रावधानों पर लागू होगा। यह माना जाता है कि 2009 अधिनियम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए लागू नहीं है, जो प्रतिवादी–केंद्रशासित प्रदेश के अनुरोधित मामला है, जिसमें स्पष्ट रूप से

पैरा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:

''समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण चंडीगढ़ शहर में प्रचलित आवंटन और भूमि नियमों के तहत किया जाता है, **न कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम** के तहत।''

इस प्रकार हाईकोर्ट का फैसले याचिकाकर्ता स्कूल के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि 2009 अधिनियम स्कूल के लिए लागू नहीं है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण उस अधिनियम के तहत नहीं लगाया जा रहा है।

2. पैरा 4 में आगे, चंडीगढ़ प्रशासन ने याचिका प्रस्तुत की है कि रियायती दर पर जमीन आवंटित की गई है। हालांकि, क्या रियायत दी गई है यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। न तो उस समय उपलब्ध बाजार दर रिकॉर्ड पर रखा गया है और न ही याचिकाकर्ता स्कूल को दी जाने वाली रियायत का प्रदर्शन करने वाले किसी भी आदेश को रिकॉर्ड पर रखा गया है। आवंटन पत्र जारी करने के समय विद्यालय को कोई रियायत नहीं दी गई थी। आबंटन पत्र जो रिकॉर्ड पर रखा गया है (अनुलग्नक आर –2) यह प्रदर्शित नहीं करता है कि याचिकाकर्ता संस्थान को कोई रियायत दी गई है। आवंटन पत्र में इस आशय का कोई गायन नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क सत्य नहीं है क्योंकि रिकार्ड में इसके समर्थन में कोई सामग्री नहीं है।

3. कि 1996 की योजना बताती है कि यह 1952 के अधिनियम की धारा 3 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई है। यह रिकार्ड की बात है कि योजना दिनांक 31.1.1996 है और याचिकाकर्ता स्कूल को आवंटित 13.10.1988 को किया गया था। इस प्रकार यह योजना अस्तित्व में नहीं थी, जब याचिकाकर्ता स्कूल को भूमि आवंटन के समय दिया गया। नियम बनाने की शक्ति 1952 अधिनियम की धारा 22 में निहित है और इसके तहत निम्नानुसार है:

22. नियम बनाने का अधिकार –

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित या सभी मामलों के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम के तहत किसी भी जमीन या भवन को केंद्र सरकार द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, जिस पर नियम और शर्तें,

(ख) जिस तरीके से किसी भी स्थानांतरण के लिए धन का भुगतान किया जा सकता है

(ग) ब्याज दर, और इस अधिनियम के तहत देय किश्तों, ब्याज, फीस, किराए या अन्य देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया;

(घ) नियम और शर्तें जिसके तहत किसी भी बैठे या भवन में किसी भी अधिकार का हस्तांतरण हो सकता है,

(ड) किसी भी इमारत का निर्माण या किसी भी साइट का उपयोग,

(च) धारा 7 के तहत शुल्क या करों की उगाही

(छ) किसी भी साइट या भवन को फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसके उल्लंघन के लिए नियम और शर्तें;

(ज) इमारतों के संबंध में शर्तों को इस अधिनियम के तहत तबादला साइटों पर खड़ा किया जाना,

(झ) सूचना के रूप और जिस तरीके से सूचनाएं दी जा सकती हैं

(ञ) इस अधिनियम के तहत अपील और आवेदन पत्र और जिस तरीके से आवेदन किया जा सकता है तथा अदालती शुल्क ऐसी अपील और आवेदनों पर लगाए जाने योग्य है,

(ट) धारा 5 के उप–धारा (2) में निर्दिष्ट मामलोंः

यह स्पष्ट है कि 1996 की योजना (यहां तक कि एक नियम के रूप में भी कहा जाता है) आधिकारिक राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा लागू होना है। इस योजना को 31.1.1996 को अधिसूचित किया गया था। इसलिए, यह अधिसूचना की तारीख से पहले काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियम बनाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रतिवादी द्वारा नियम नहीं बनाया जा सकता है जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 में नियम बनाना शक्ति शामिल है धारा 48 (2) (बी) (प) अधिनियम की धारा 48 के तहत बनाए गए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति प्रदान करता है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 में नियमों को बनाने की शक्ति शामिल है। नियम 2 (3) विशेष रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव वाले नियमों को फ्रेम करने की शक्ति देता है। हालांकि, यह एक राइडर के साथ है कि किसी भी नियम को कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति के हित को प्रभावित कर सके जिसे इस तरह के नियम लागू हों।

यह 1952 के अधिनियम 22 की धारा 22 के साथ धारा 3 के एक अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियमों को नियंत्रित करने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार 1996 की योजना (जिसे प्रतिवादी द्वारा नियम के रूप में कहा गया है) के तहत भूमि का आवंटन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक 31.1.1996 से पहले लागू नहीं हो सकता है।

4. यह अभी भी निदेशालय लोक अनुदेश (चंडीगढ़ प्रशासन) द्वारा जारी किया गया है, जो कि 8.5.2014 (अनुलग्नक VIII) के ईडब्ल्यूएस कोटा प्रवेश के लिए आगे के निर्देश जारी किए गए हैं। यह विशेष रूप से रिकॉर्ड करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार 1996 की योजना के आवंटन पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है क्योंकि वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित आरक्षण का आधार 8.5.2014 है, जो कि 2009 के अधिनियम पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले से ही 2009 के अधिनियम के ऊपर आयोजित अल्पसंख्यक संस्था के लिए लागू नहीं है।

कार्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति निदेशक सार्वजनिक निर्देश में निहित नहीं है। निदेशक सार्वजनिक निर्देश निर्देश जारी करने के लिए सक्षम नहीं है। निर्देश केवल राज्य द्वारा जारी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 निम्नानुसार है:

> **"162. राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा–** इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी, जिनके संबंध में राज्य के विधान मंडल में कानून बनाने की शक्ति है।

बशर्ते कि किसी भी मामले में किसी राज्य और संसद के विधान मंडलों को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति इस संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति द्वारा या सीमित किए जाने वाले कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी'

लोक निर्देश के निदेशक एक अधीनस्थ अधिकारी हैं और राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो केवल कार्यकारी अधिकारियों पर निहित हैं। यह मामला शार्दुल सिंह बनाम पंजाब राज्य में 1970 S-L-R-5–55 के रूप में दर्ज किया गया है और यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत सरकार की शक्ति का इस्तेमाल पुलिस महानिदेशक द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह की स्थिति वर्तमान स्थिति में है जहां सरकार की कार्यकारी शक्ति (चंडीगढ़ प्रशासन) को एक मध्य रैंक के आधिकारिक (डीपीआई स्कूल) द्वारा प्रयोग करने की मांग की जाती है। वह संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के रूप में ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है भारत का केवल सरकार के साथ निहित है

5. यह भी कि 2009 अधिनियम में 25% की सीमा तक आरक्षण करने के प्रावधान शामिल हैं। यह अधिनियम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए लागू नहीं है जैसा पहले से ही ऊपर रखा गया है। इस प्रकार एक बार 2009 अधिनियम लागू नहीं हुआ है, यह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई आरक्षण करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को खुला नहीं है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के ऊपर उल्लिखित और जैसा कि सर्वोच्च एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के मामले (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया है, का उल्लंघन होगा। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा दी गई अपनी पसंद के विद्यालयों को स्थापित और प्रशासित करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के निपटारे के प्रति उत्तरदायी राशि का प्रयास। इसके अलावा, केवल एक पट्टा अधिनियम (जो ऊपर वर्णित है) अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी ने कहा कि स्कूल पर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने का अधिकार नहीं है

तदनुसार, फरवरी 26, 2016 की शिकायत की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी को याचिकाकर्ता विद्यालय में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई आरक्षण देने से रोक दिया जाता है।

जफर आगा
सदस्य

डॉ बलतेज सिंह मान
सदस्य

डॉ नाहीद अबिदी
सदस्य

6.2 F. NO. 1393 OF 2015

विषय : अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना

उपस्थित : याचिकाकर्ता के लिए वकील
श्री जोस अब्राहम

प्रतिवादी के लिए कोई नहीं

इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत शामिल एक अल्पसंख्यक शैक्षिणिक संस्था, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों अधिनियम के लिए राष्ट्रीय आयोग की धारा 10 के उप–धारा (3) के संदर्भ में घोषणा करना चाहता है। ''अधिनियम'') है कि सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए याचिकाकर्ता संस्था को एनओसी प्रदान करने के लिए समझा है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है। यह मानना है कि 19.6.2013 को, याचिकाकर्ता ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए एनओसी की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए आवेदन किया था और 90 दिनों की सांविधिक अवधि समाप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने इसके बाद कोई आदेश नहीं दिया था। ऐसा होने के नाते, याचिकाकर्ता अधिनियम के धारा 10 के उप–धारा (3) के उपेक्षित प्रावधानों को लागू करने का हकदार है।

याचिकाकर्ता द्वारा लिखित शिकायतकर्ता श्री जलालुद्दीन ने याचिका में दिए गए एवरमेन्ट्स के समर्थन में हलफनामा दाखिल किया है। नतीजतन, हमारे पास जलालुद्दीन के हलफनामे पर कार्रवाई करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। श्री जलालुद्दीन के हलफनामे के अनुसार हमने पाया कि 19.06.2013 को याचिकाकर्ता संस्थान ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया था और वैधानिक अवधि जो कि 90 दिन की थी की समाप्ति के बाद भी, सक्षम प्राधिकारी ने उस पर कोई आदेश नहीं दिया। ऐसा होने के कारण, याचिकाकर्ता संस्था एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) को लागू करवाने की हकदार है, जो निम्न है :

''उपधारा (3) (1) के तहत आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर जहां कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए,

(ए) सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, या

(बी) जहां ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और इस संदर्भ में कोई सूचना तक उक्त अवधि के दौरान आवेदनकर्ता को नहीं दी गई है, वहां यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।'

मामले के तथ्यों और अन्य स्थितियों के मद्देनजर, हमने पाया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के 19.06.2013 की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए किये गये आवेदन पर वैधानिक अवधि जो कि 90 दिन की होती है, के दौरान उक्त संस्था को सीबीएसई के साथ संबद्ध करने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए यह घोषित करने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए याचिकाकर्ता संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दी है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए और सीबीएसई को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा 3 के तहत जारी प्रमाण–पत्र पर कार्रवाई करें ताकि सीबीएसई से संबद्धता हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

जफर आगा
सदस्य
डॉ बलतेज सिंह मान
सदस्य
डॉ नाहीद आबिदी
सदस्य

6.3 F. NO. 809 OF 2016

विषय : अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना

उपस्थित : याचिकाकर्ता के लिए वकील श्री जोस अब्राहम

प्रतिवादी पक्ष के लिए कोई वकील उपस्थित नहीं

प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया है

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता संस्थान के अध्यक्ष श्री ई थॉमस जेयापॉल का हलफनामा दायर किया। उन्होंने याचिकाकर्ता संस्थान की तस्वीर भी पेश की है। उनके द्वारा निम्न दलीलें पेश की गईं:

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत स्थापित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ने इस याचिका के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन एक घोषणा की पृच्छा की है कि सीबीएसई से संबद्धता के लिए याचिकाकर्ता संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त मान लिया जाए। निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने 10.10.2013 को प्रतिवादी द्वारा सीबीएसई से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया। इस पर सक्षम प्राधिकारी ने वैधानिक 90 दिनों के भीतर कोई भी आदेश पारित नहीं किया। अतएव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 3 के प्रावधानों को लागू करवाने का अधिकार है।

याचिकाकर्ता के अध्यक्ष श्री ई थॉमस जेयापॉल ने याचिका में किए गए एवरमेन्ट्स के समर्थन में अपना हलफनामा दायर किया है। इसे रेखांकित किये जाने की जरूरत है कि याचिका में किए गए उपरोक्त अवयवों का प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, ई. थॉमस जेयापॉल के शपथ–पत्र पर कार्रवाई करने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। याचिकाकर्ता के हलफनामे के अनुसार, 10.10.2013 को याचिकाकर्ता संस्थान ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए एनओसी की अनुमति के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया था। 90 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने इस संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया। अतएव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 3 के प्रावधानों को लागू करवाने का अधिकार है, जो निम्नानुसार है :

''उपधारा (3) (1) के तहत आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर जहां कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए,

(ए) सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, या

(बी) जहां ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और इस संदर्भ में कोई सूचना तक उक्त अवधि के दौरान आवेदनकर्ता को नहीं दी गई है, वहां यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।'

मामले के तथ्यों और अन्य स्थितियों के मद्देनजर, हमने पाया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के 10.10.2013 की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए किये गये आवेदन पर वैधानिक अवधि जो कि 90 दिन की होती है, के दौरान उक्त संस्था को सीबीएसई के साथ संबद्ध करने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए यह घोषित करने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए याचिकाकर्ता

संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दी है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए और सीबीएसई को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा 3 के तहत जारी प्रमाण–पत्र पर कार्रवाई करें ताकि सीबीएसई से संबद्धता हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

जफर आगा
सदस्य

डॉ बलतेज सिंह मान
सदस्य

डॉ नाहीद आबिदी
सदस्य

6.4 F. NO. 808 OF 2016

विषय : अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना

उपस्थित : याचिकाकर्ता के लिए वकील श्री जोस अब्राहम

प्रतिवादी के लिए कोई नहीं

प्रतिवादी की तरफ से कोई जवाब दायर नहीं किया गया है

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने श्री ए गॉडविन माइकल कर्नेलियस का हलफनामा दायर किया। उन्होंने याचिकाकर्ता संस्थान की तस्वीर भी पेश की है। उनके द्वारा निम्न दलीलें पेश की गईं:

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत स्थापित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ने इस याचिका के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन एक घोषणा की पृच्छा की है कि सीबीएसई से संबद्धता के लिए याचिकाकर्ता संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त मान लिया जाए। निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने 27.01.2011 को प्रतिवादी द्वारा सीबीएसई से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया। इस पर सक्षम प्राधिकारी ने वैधानिक 90 दिनों के भीतर कोई भी आदेश पारित नहीं किया। अतएव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 3 के प्रावधानों को लागू करवाने का अधिकार है।

याचिकाकर्ता के अध्यक्ष श्री ए गॉडविन माइकल कर्नेलियस ने याचिका में किए गए एवरमेन्ट्स के समर्थन में अपना हलफनामा दायर किया है। इसे रेखांकित किये जाने की जरूरत है कि याचिका में किए गए उपरोक्त अवयवों का प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, श्री ए गॉडविन माइकल कर्नेलियस के शपथ–पत्र पर कार्रवाई करने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। याचिकाकर्ता के हलफनामे के अनुसार, 27.01.2011 को याचिकाकर्ता संस्थान ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए एनओसी की अनुमति के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया था। 90 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने इस संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया। अतएव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 3 के प्रावधानों को लागू करवाने का अधिकार है, जो निम्नानुसार है :

"उपधारा (3) (1) के तहत आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर जहां कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए,

(ए) सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, या

(बी) जहां ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और इस संदर्भ में कोई सूचना तक उक्त अवधि के दौरान आवेदनकर्ता को नहीं दी गई है, वहां यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।'

मामले के तथ्यों और अन्य स्थितियों के मद्देनजर, हमने पाया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के 27.01.2011 की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए किये गये आवेदन पर वैधानिक अवधि जो कि 90 दिन की होती है, के दौरान उक्त संस्था को सीबीएसई के साथ संबद्ध करने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए यह घोषित करने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए याचिकाकर्ता संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दी है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए और सीबीएसई को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा 3 के तहत जारी प्रमाण–पत्र पर कार्रवाई करें ताकि सीबीएसई से संबद्धता हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

जफर आगा
सदस्य

डॉ बलतेज सिंह मान
सदस्य

डॉ नाहीद आबिदी
सदस्य

6.5 F. NO. 1306 OF 2016

विषय : अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना

उपस्थित : याचिकाकर्ता के लिए वकील श्री जोस अब्राहम

श्री मनु श्रीनाथ, प्रतिवादी के लिए एवजी वकील

प्रतिवादी की तरफ से कोई जवाब दायर नहीं किया गया है

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता संस्थान के प्रबंधक श्री अब्दुल रशीद केवी का हलफनामा दायर किया। उन्होंने याचिकाकर्ता संस्थान की तस्वीर भी पेश की है। उनके द्वारा निम्न दलीलें पेश की गईं:

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत स्थापित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ने इस याचिका के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था आयोग अधि ानियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन एक घोषणा की पृच्छा की है कि सीबीएसई से संबद्धता के लिए याचिकाकर्ता संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त मान लिया जाए। निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने 13.03.2013 को प्रतिवादी द्वारा सीबीएसई से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया। इस पर सक्षम प्राधिकारी ने वैधानिक 90 दिनों के भीतर कोई भी आदेश पारित नहीं किया। अतएव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 की उपध ारा 3 के प्रावधानों को लागू करवाने का अधिकार है।

याचिकाकर्ता टी.के. ट्रस्ट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, अब्दुल रशीद केवी ने याचिका में किए गए एवरमेन्ट्स के समर्थन में अपना हलफनामा

दायर किया है। इसे रेखांकित किये जाने की जरूरत है कि याचिका में किए गए उपरोक्त अवयवों का प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, अब्दुल रशीद केवी के शपथ–पत्र पर कार्रवाई करने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। याचिकाकर्ता के हलफनामे के अनुसार, 13.03.2013 को याचिकाकर्ता संस्थान ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए एनओसी की अनुमति के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया था। 90 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने इस संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया। अतएव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 3 के प्रावधानों को लागू करवाने का अधिकार है, जो निम्नानुसार है :

''उपधारा (3) (1) के तहत आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर जहां कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए,

(ए) सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, या

(बी) जहां ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और इस संदर्भ में कोई सूचना तक उक्त अवधि के दौरान आवेदनकर्ता को नहीं दी गई है, वहां यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।'

मामले के तथ्यों और अन्य स्थितियों के मद्देनजर, हमने पाया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के 13.03.2013 की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए किये गये आवेदन पर वैधानिक अवधि जो कि 90 दिन की होती है, के दौरान उक्त संस्था को सीबीएसई के साथ संबद्ध करने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए यह घोषित करने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के लिए याचिकाकर्ता संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दी है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए और सीबीएसई को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा 3 के तहत जारी प्रमाण–पत्र पर कार्रवाई करें ताकि सीबीएसई से संबद्धता हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

जफर आगा
सदस्य

डॉ बलतेज सिंह मान
सदस्य

डॉ नाहीद अबिदी
सदस्य

6.6 F. NO. 1301 OF 2016

विषय : अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना

निम्नलिखित के मामले में :

दिल्ली प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान,

एनएच –1, चिरास्मी रोड गन्नौर,

जिला सोनीपत, हरियाणा–131 101

याचिकाकर्ता

बनाम

महानिदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
हरियाणा सरकार,
चंडीगढ़, हरियाणा

प्रतिवादी

आदेश

(14 दिसंबर, 2016 को निर्गत)

जफर आगा

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत स्थापित

एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ने इस याचिका के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था आयोग अधि ानियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 10 की उपधारा 3 के अधीन एक घोषणा की पृच्छा की है कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्धता के लिए याचिकाकर्ता संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त मान लिया जाए। निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है। यह दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने 19.10.2010 को प्रतिवादी द्वारा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया और प्रतिवादी ने संस्था के हरियाणा राज्य से बाहर होने के आधार पर आवेदन अस्वीकार कर दिया। अतएव याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 3 के प्रावधानों को लागू करवाने का अधिकार है। जो निम्नानुसार है :

"उपधारा (3) (1) के तहत आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर जहां कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए,

(ए) सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, या

(बी) जहां ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और इस संदर्भ में कोई सूचना तक उक्त अवधि के दौरान आवेदनकर्ता को नहीं दी गई है, वहां यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।'

निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता संस्था एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है और एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 10 ए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को यह अधिकार देती है कि वह अपनी पसंद के किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धता चाहे बशर्ते यह तद्संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो। यहां पर हम सीजीएसआईयूपी अधिनियम की धारा 4 को संदर्भित करेंगे जिसके अनुसार–

' * * 4 न्यायाधिकार–क्षेत्र :

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना समिति अधिनियम, 1985 (1985 का 2) द्वारा पारिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर अन्य दूसरे अधि ानियमों के परंतुक के सिवाय इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र होगा।

(2) कोई भी महाविद्यालय या संस्था जो विश्वविद्यालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में हो अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं किये जायेंगे और सिर्फ उन्हीं महाविद्यालयों या संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा जो प्रविधि तथा अध्यादेशों को स्वीकार करेंगे।

धारा 4 स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भू–सीमा में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्था को जीजीएसआईपीयू से संबद्धता की अनुमति देती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना समिति अधिनियम, 1985 द्वारा पारिभाषित राष्ट्रीय राजध ानी क्षेत्र की भू–सीमा में फरीदाबाद निर्विवाद रूप से स्थिज्ञत है। अतएव, याचिकाकर्ता संस्था जो एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, राष्ट्रीय राजध ानी क्षेत्र की भू–सीमा में स्थित होने के कारण विश्वविद्यालय से संबद्धता का कानूनी अधिकार रखती है।

यह उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सामान्य कोटि की शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं आती है। संविधान के अनुच्छेद 30 ए के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विशेष अधिकार प्राप्त है और संसद ने इन अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का गठन 2004 में एक अधिनियम के द्वारा किया

है। इस अधिनियम की धारा 3 ए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालयों से संबद्धता का विशेष अधिकार देती है। इसके अनुसारः

''जिस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है उसकी शर्तों के अधीन किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्ंस्थान को अपनी पसंद के विश्वविद्यालय से संबद्धता का अधिकार होगा।''

जीजीएसआईपीयू अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार–

''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना समिति अधि ानियम, 1985 (1985 का 2) द्वारा पारिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर स्थित शैक्षणिक संस्थान को संबद्धता की अनुमति है।''

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, निर्विवाद रूप से फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है। जीजीएसआईपीयू अपने प्रविधि में स्पष्ट रूप से एक संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय को संबद्धता की अनुमति देता है। अतः याचिकाकर्ता को जीजीएसआईपीयू से संबद्धता का अधिकार है।

मामले के तथ्यों और अन्य स्थितियों के मद्देनजर, हमने पाया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए किये गये आवेदन पर उक्त संस्था को जीजीएसआईपीयू के साथ संबद्ध करने के लिए किये गये आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। हमारे पास याचिकाकर्ता संस्था द्वारा गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु मांगे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रदत्त मान लेने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। एतद् द्वारा याचिकाकर्ता संस्था को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस आयोग द्वारा याचिकाकर्ता संस्था को प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है।

जफर आगा
सदस्य

अध्याय 7

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानो के अधिकारों के वंचन और विश्वविद्यालयों से संबद्धता के मामले

यह अच्छी तरह से तय हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत, एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार है। हालांकि, मानकों में उत्कृष्टता बनाए रखने और उन्हें सुगम बनाने के लिए राज्य के नियामक शक्तियों का अधिकार सही है। टीएमएम में सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीशों के खंडपीठ के फैसले में पै फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2002) 8 एससीसी 481, सर्वोच्च न्यायालय ने एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार समझाया है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में नियोजित वाक्यांश निम्नलिखित अधिकारों से मिलकर बना है :

क) छात्रों को दाखिल करने के लिए,

ख) एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने के लिए,

ग) एक शासी निकाय का गठन करना,

घ) कर्मचारियों को नियुक्त करना (शिक्षण और गैर शिक्षण), तथा

ड़) किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य की कमी के कारण कार्रवाई करने के लिए।

आयोग इस दृष्टिकोण का अनुसमर्थन करता है कि अल्पसंख्यक संस्थान प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में शैक्षिक संस्थानों की अपेक्षा उत्कृष्टता के मानकों से कम नहीं होना चाहिए। शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण के लिए कोई अभिशप्त नहीं हैं।

मामले के दौरान निम्नलिखित मामले का निर्णय लिया गया :

F.NO. 633 OF 2016

तर्क सुने गए।

सेंट लॉरेंस स्कूल, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के मास्टर जीशान खान ने कक्षा 9वीं कक्षा के छात्र की याचिकाकर्ता नफीसा बानो पर आरोप लगाया है कि स्कूल के अधिकारियों ने बिना किसी उचित जमीन के अपने बेटे को स्कूल से निकाल दिया है। उसने कहा है कि उक्त विद्यालय एक अल्पसंख्यक शिक्षण विद्यालय है जो एनसीएमईआई द्वारा दिए गए अल्पसंख्यक दर्जा का लाभ उठा रहा है। इसलिए, आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उनकी प्रार्थना है और स्कूल के संबंधित अधिकारियों को स्कूल के 9वीं कक्षा में बेटा पढ़ने दें।

प्रतिवादी ने प्रारंभिक रूप से आयोग द्वारा उन पर बार–बार नोटिस प्रस्तुत करने के जवाब

देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने अनिच्छा से जवाब दिया और कहा कि कहा छात्र की ओर से कदाचार और अनुशासनहीनता के कई गंभीर आरोप हैं। जब छात्र के खिलाफ अपने आरोपों के बारे में कोई सबूत प्रस्तुत करने को कहा गया, तो प्रतिवादी इस संबंध में कोई भी सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहा।

इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित छात्र को उक्त विद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखने दिया जाए ताकि उसका अकादमिक वर्ष व्यर्थ न हो। उक्त छात्र को भी हर तरह से स्कूल के अनुशासन का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

याचिका का निपटारा तदनुसार किया जाता है। पक्षों को सूचित किया जाए।

जफर आगा
सदस्य

डॉ बलतेज सिंह मान
सदस्य

अध्याय 8

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और आयोग की सिफारिशों से संदर्भ

अधिनियम की धारा 11 (ए) के अनुसार आयोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को सलाह देगा, जिसे इसके संदर्भ भेजा जा सकता है।

वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कुछ संदर्भ प्राप्त हुए और उत्तर दो मामलों में नीचे दिया गया है :

8.1 No. 7-13/2016-NCMEI

भारत सरकार
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
गेट नंबर 4ए, 1 तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001
दिनांक 13 मई, 2016

सेवा मे,

श्री सी पी जोय,
अधिकारी (एमसी) / अनुभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
उच्च शिक्षा विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

विषयः आरटीई के तहत लागू अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे और प्रमाणन पर स्पष्टीकरण मांगना

महोदय,

कृपया अपने पृष्ठांकन का संदर्भ लें जो ओ. एम./1–28/2011–ईई 4 (पृष्ठ 1) दिनांक 06.05.2016 को सुश्री शारदा शर्मा, अमेरिका के सचिव, क्रम संख्या 3 के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए विभाग शिक्षा का, सरकार छत्तीसगढ़ के डी. ओ. 04.05.2016 के दिनांक पत्र है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि आयोग ने भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संबंध में अल्पसंख्यक स्थिति, मान्यता, संबद्धता और संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश www.ncmei.gov.in पद पर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक शैक्षिक संस्थान की अल्पसंख्यक दर्जा के निर्धारण के लिए मानदंड निम्नानुसार है

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पढ़ने पर, उच्चतम न्यायालय के कई आधिकारिक भाषणों और केंद्रीय शिक्षा संस्थानों (आरक्षण) की धारा 2 (एफ) की धारा 2 (जी) और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की परिभाषाएं प्रवेश में) अधिनियम, 2006, निम्नलिखित तथ्यों को धार्मिक आधार पर एक शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए साबित होना चाहिए

(i) कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य / सदस्यों द्वारा शैक्षिक संस्था की स्थापना की गई थी;

(ii) कि अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित किया गया थाए तथा

(iii) अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संस्थान का संचालन किया जा रहा है।

2.2 पूर्वोक्त तथ्यों को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूतों द्वारा या तो साबित किया जा सकता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ शैक्षिक संस्थान की पहचान करने के लिए कुछ सकारात्मक सूचकांक होना चाहिए। नियोजित साधनों और वांछित छोरों के बीच संबंध होना चाहिए। यदि संबंधित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान किसी ट्रस्ट या पंजीकृत समाज द्वारा चलाया जा रहा है, तो ट्रस्ट या ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य, जैसा कि मामला हो सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए और ट्रस्ट विलेख/लेख एसोसिएशन या इस संबंध में विधिवत निष्पादित किसी भी अन्य दस्तावेज को अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की उप–सेवा के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए। किसी भी दस्तावेजी सबूत की अनुपस्थिति में कुछ स्पष्ट या ठोस साक्ष्य पूर्वोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को अपनी पसंद का एक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए अन्य समुदायों के सदस्यों की कोई भी पट्टी नहीं है। (एस.के. पेट्रो बनाम राज्य बिहार एआईआर 1970 एससी 259 देखें)।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि समाज के अधिकांश सदस्य /विश्वास / कंपनी किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है और संस्था स्थापित की जा रही है और ऐसे समुदाय के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, तो संस्थान का हकदार है उपरोक्त बताए अनुसार अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए

4. उपर्युक्त के अलावा, यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि संस्थान की स्थापना के बाद प्रबंधन में परिवर्तन के मामले में संस्था अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषणा के लिए पात्र नहीं है क्योंकि यह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं है और उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करता है।

आपकी आभारी,
(रीता चटर्जी)
सचिव
फोन : 23367759

8.2 No. 7-16/2015 – NCMEI

भारत सरकार
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
गेट नंबर 4, 1 तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001
दिनांक 6 मई, 2016

सेवा मे,

सुश्री जयश्री मुखर्जी,
प्रमुख सचिव,महाराष्ट्र सरकार,
अल्पसंख्यक विकास विभाग,मंत्रालय,
(एनेक्स बिल्डिंग), 7वीं मंजिल, राजगुरू चौक,
मैडम कामा रोड,
मुंबई – 400032, महाराष्ट्र

विषय : एनसीएमई अधिनियम की धारा 12 सी (बी) और धारा 2 (ए) पर स्पष्टीकरण

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर 23 मई, 2016 के आपके ईमेल का संदर्भ लें। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों पर थोक कोटा फिक्स करने के सही समाधान पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :

2. इस संबंध में ध्यान टी एम ए पाइ सुप्रीम कोर्ट फैसले की और आकर्षित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ कहता है,' ..... यदि, ऐसी संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के वर्णन में उचित छात्रों को स्वीकार करने के दायित्व के अधीन है,

राज्य में रहने वाले उस समूह के छात्र जो संस्थान स्थित है, को जरूरी एक बड़ा उपाय माना जाता है क्योंकि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूह का गठन करते हैं, जहां तक राज्य का संबंध है। दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्थापित होने वाले राज्य से जुड़े भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के पूर्व प्रभुत्व मौजूद होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के प्रबंधन निकायों ने आस–पास के राज्यों के भाषाई छात्रों को स्वीकार करने के साधन का सहारा नहीं ले सकता, जिसमें वे बहुसंख्यक हैं, अनुच्छेद 30 (1) के तहत सुरक्षा के मुखौटा के तहत'। इनामदार के मामले में (सुप्रा) धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए कानून के कहा गया प्रस्ताव लागू किया गया है। अपने प्रभुत्व के अनुसार, 'अगर किसी भी अन्य दृश्य को अनुचित रूप से अनुच्छेद 30 (1) और 29 (2) का विरोधाभास करके प्रवेश के अधिमान्य अधिकार को प्रदान करने के उद्देश्य को लेना था' को विकृत कर सकता है। 'इसे इनामदार के मामले में भी देखा गया था कि 'यह टी एम ए पाइ फाउंडेशन में निर्धारित विधि से अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार से है कि एक अल्पसंख्यक संस्था स्थापित करने के लिए संस्था को मुख्य रूप से उस राज्य की अल्पसंख्यक की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और उसके अल्पसंख्यक संस्थान का चरित्र खो गया है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एसआर के शब्दों को उधार लेने के लिए। केरल शिक्षा विधेयक में दास ने कहा, 'दूसरे राज्यों से गैर–अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के छिड़काव के रूप में एक ही स्थान पर छिड़काव की अनुमति दी जाएगी और वह अल्पसंख्यक संस्था होने के अपने चरित्र को वंचित नहीं करेगी एक राज्य के रूप में राज्य 'अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के शासन के एक प्रतिशत के पर्चे के संबंध में, टीएमएमए में सुप्रीम कोर्ट की उनकी निष्ठा के निम्नलिखित टिप्पणियों को अवतरित करने के लिए उपयोगी होगा। पै फाउंडेशन केस बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2002) 8 एससीसी 481. '.... संस्था की प्रकार और संस्था में दी जा रही शिक्षा की प्रकृति के अनुसार स्थिति भिन्न होगी। आम तौर पर, स्कूल स्तर पर, हालांकि अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के साथ सभी सीटों को उच्च स्तर पर, कॉलेजों या तकनीकी संस्थानों में भरना संभव हो सकता है, यह संभव है कि सभी सीटों को भरना संभव न हो अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के साथ हालांकि, यदि अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के साथ सभी सीटों को भरना संभव हो, तो इस संस्थान को सहायता दी जा रही है, संस्थान को गैर अल्पसंख्यक समूह के छात्रों को एक उचित सीमा तक स्वीकार करना होगा, जिससे संस्था का चरित्र नष्ट नहीं हो पाता है, और साथ ही, अनुच्छेद 29 (2) के तहत तैयार किए गए नागरिकों के अधिकारों को नष्ट नहीं किया जाता है। 'राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में भर्ती होने के लिए निर्धारित कर सकती है, जहां क्षेत्र स्थित जनसंख्या और शैक्षिक आवश्यकताएं हैं। प्राथमिक से कॉलेज स्तर तक शैक्षिक संस्थानों के प्रकार के संबंध में एक आम नियम या विनियमन या आदेश नहीं हो सकता है और पूरे राज्य के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के मामले में समान सीमा तय करना। इस प्रकार एक संतुलन को दो उद्देश्यों के बीच रखा जाना चाहिए – अल्पसंख्यकों के अधिकार को अपने समुदाय के छात्रों को स्वीकार करने और उनकी संस्थाओं में 'बाहरी लोगों के छिड़काव' को स्वीकार करने की षर्त को बनाए रखने की शर्त के अनुसार रखा जाना चाहिए कि ऐसे प्रवेशों की संख्या और संख्या संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन करना। यहां उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम की धारा 12 सी (बी) राज्य सरकार को एक अल्पसंख्यक संस्थान में प्रवेश के लिए प्रतिशत को निर्धारित

करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार राज्य सरकार को अल्पसंख्यक संस्थानों में छात्रों के दाखिले के लिए निर्धारित प्रतिशत को कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार टी एम ए पाइ फाउंडेशन और पी ए इनामदार के मामलों में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के द्वारा नियुक्त किया गया है।

3. NCMEI, बक्ली प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम के मामले में 2009 के प्रकरण सं 1320 में अपने फैसले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्कूल और मास शैक्षिक विभाग ने कहा था कि हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस आयोग में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के प्रवेश के लिए प्रतिशत का निर्धारण करने की शक्ति नहीं है। यह संबंधित राज्य सरकार का कार्य है याचिकाकर्ता संस्था के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है या यह सुझाव दे सकता है कि उसने गैर–अल्पसंख्यक समुदाय के एक छात्र को समायोजित करने के उद्देश्य से ईसाई समुदाय के किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है। उपर्युक्त तरीके से राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान में ईसाई समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश में कार्यबल और उचित प्रतिशत के नुस्खे के अभाव में, हम यह नहीं मान सकते कि याचिकाकर्ता संस्थान ने अपने अल्पसंख्यक चरित्र को खो दिया है।

4. मामले को दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है। अगर किसी राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रवेश के लिए अल्पसंख्यक संस्थान में भर्ती अल्पसंख्यक छात्रों के पहचान मापदंड के रूप में 50% या अधिक निर्धारित किया है। राज्य सरकार द्वारा इस तरह के प्रतिशत का निर्धारण एक अल्पसंख्यक संस्थान को राज्य में कम से कम अल्पसंख्यक समुदाय से 50% से कम छात्रों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है जिसके लिए संस्था का संबंध है।

(क) आगे, यह टी एम ए पाइ (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया है कि संबंधित संस्थान में अल्पसंख्यक छात्रों का सेवन विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर होना चाहिए, जैसे कि यह किस प्रकार की संस्था है, चाहे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्कूल या कॉलेज या अन्यथा, राज्य में उस समुदाय की आबादी और जिस क्षेत्र में संस्था स्थित है की आवश्यकता है। यह इन कारकों पर विचार कर रहा है कि राज्य न्यूनतम अल्पसंख्यक और गैर–अल्पसंख्यक छात्रों का सेवन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 'क्या उचित सीमा होगी चार कारकों पर निर्भर करती है, और यह किसी भी विशिष्ट प्रतिशत को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।' ऊपर से यह स्पष्ट है कि 50% की एक सीमा के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता है अल्पसंख्यक संस्थानों को अनिवार्य रूप से 50% तक अल्पसंख्यक छात्रों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक से कॉलेज स्तर तक सभी प्रकार के संस्थानों के संबंध में एक आम नियम या विनियमन नहीं हो सकता है और पूरे राज्य के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के मामले में समान सीमा तय करना।

आपकी आभारी,
(रीता चटर्जी)
सचिव
फोनः 23367759

अध्याय 9

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के समेकित विकास के लिए संस्तुतियां

आयोग के कार्यों में एन.सी.एम.ई.आई. अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित अन्य विषयों के अलावा अधोलिखित हैं :–

''(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान द्वारा या उसके अधीन या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों लिए कोई कानून की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाएं,

(ड.) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद के संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जा और चरित्र को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उपायों को निर्दिष्ट करना,

(च) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में किसी संस्था की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों का फैसला करना और इसका दर्जा घोषित करना,

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी, कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें देना, तथा

(ज) ऐसे कृत्यों को करना जो आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या प्रासंगिक हो सकता है।

इस अवधि के दौरान, ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

अध्याय 10

अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले

10.1 संविधान के अनुच्छेद 30 (1) ने अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों का अधिकार प्रदान किया है। अनुच्छेद 30 (1) के तहत यह अधिकार भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके धर्म से निरपेक्ष उपलब्ध है। इसलिए, अनुच्छेद 30 से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बाहर करना संभव नहीं है।

10.2 केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एससी 959) के साथ शुरू हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सिलसिले पीए इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 6 एससीसी 537 के मामले में आए फैसले के साथ अंजाम को प्राप्त हुए। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) से संबंधित मामलों पर पूर्वोक्त केरल मामला कानून के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षणिक संस्था स्थापित और प्रशासित करने का मौलिक अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था चलाने के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य को अल्पसंख्यकों के भाग तीन के तहत वर्णित इन अधिकारों को सीमित करने या इन अधिकारों से असंगत कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है।

10.3 अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1974 SC 1389 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30(1) की आधारभूमि बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय चाहे धार्मिक हो या भाषिक उन्हें अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार है ताकि वे अपने बच्चों को समान शिक्षा के माध्यम से देश के पूर्ण स्त्री और पुरूषों बना सकें। देश की एकता और अखंडता को संरक्षित और मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को यह सुरक्षा प्रदान की गई है।

10.4 अपने देश के बच्चे और बच्चियों के बीच समानता विकसित करना सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व की वास्तविक भावना को बढ़ावा देने की मंशा है। अगर धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासित करने के लिए अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो वे पृथक और अलग–थलग महसूस करेंगे। सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हमारे देश के लोगों में प्राकृतिक रूप से मस्तिष्क के विकास के लिए विचार और कर्म दोनों के द्वार खोल देगी।

10.5 संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का सार्थक प्रयोग प्रभावी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने में है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा विद्वानों के लिए यह एक सुविधा साबित हो। राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए विहित नियम बनाने का अधिकार होगा जो उसके संबद्धता और मान्यता से संबंधित है। मगर यह नियम ऐसे न हों कि अल्पसंख्यक संस्था की अपनी प्रकृति ही नष्ट हो जाए।

10.6 इसलिए दोनों उद्देश्यों के बीच एक संतुलन की जरूरत है। एक तरफ संस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने की जरूरत है तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासित करने के लिए प्राप्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की जरूरत है। जिन विनियमों ने इन दो उद्देश्यों को समेकित और समन्वित किया है उन्हें औचित्यपूर्ण होना चाहिए। (टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य) 2002 (8) एससीसी 481 देखें) टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया कि जो भी संस्था संबद्धता और मान्यता की अर्हता रखती है उसे संबद्धता और मान्यता देना बाध्यतामूलक है। साथ ही अनुच्छेद 30 कार्यपालिका और विधायिका को अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों के प्रतिकूल विधि बनाने से रोकता है।

10.7 वर्ष 2014 से ऐसी शिकायतों की बहुतायत पाई गई जिनमें राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों के शैक्षणिक अधिकारों का अतिक्रमण था। कर्नाटक में जहां भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाएं ज्यादा है, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को थोपने का आरोप लगा और मामले बंगलोर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया।

उच्च न्यायालय ने एन.सी.एम.ई.आई. को भी इस मामले में एक पक्ष बनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उक्त शिक्षा अधिकार अधिनियम उस हद तक विधित्तर है जिस हद तक संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक विद्यालयों पर पर लागू किया जाता है। अंततः 5 संस्थाओं द्वारा दायर एक मामले में बंगलोर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 को याचिकाकर्ता संस्थाओं पर थोपा नहीं जा सकता।

अध्याय 11

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 12 (बी) के अनुसार आयोग की प्रत्येक कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 में से 2) के तहत एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। आयोग एक अर्ध न्यायिक संगठन है, कई याचिकाकर्ता, अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ संवाद करता है। नतीजतन, आयोग द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या हर साल बढ़ रही है।

नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने की दृष्टि से , आयोग ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (i) के तहत सभी अनिवार्य सूचनाएं अपनी वेबसाईट www.ncmei.gov.in पर रखी हैं।

2016–17 के दौरान, उप सचिव श्री संदीप जैन, जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे (दिनांक 21.08.2014 से आज तक)। 01.04.2016 से 31.8.2016 तक श्रीमती रीता चटर्जी, आयोग की सचिव, ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया। आयोग के सचिव के रूप में 22.09.2016 से 31.3.2017 तक नियुक्त श्री मधु रंजन कुमार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी थे।

प्रस्तुत वर्ष के दौरान, आयोग को 160 आरटीआई आवेदन और 2 अपीलें मिले। सभी आवेदन/अपीलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटा दिया था।

अध्याय 12

निष्कर्ष

12.1 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 30 में विशेष रूप से कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे धर्म या भाषा के आधार पर, को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार होगा।'

अनुच्छेद 30 (1) के तहत धार्मिक और भाषाई दोनों वर्गों के अल्पसंख्यक आते हैं। हालांकि, एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय के रूप में अल्पसंख्यकों की परिभाषा को सीमित करती है।

केंद्र सरकार ने 6 अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अधिसूचित किया है। इसलिए, वर्तमान में भाषाई अल्पसंख्यक एनसीएमईआई अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

12.2 विभिन्न संस्थानों से भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए आयोग कई आवेदन प्राप्त कर रहा है। भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से शिकायतों के निवारण के लिए आयोग भी याचिकाएं/आवेदन प्राप्त कर रहा है। इस तरह के सभी संदर्भों में याचिकाकर्ताओं से सूचना के माध्यम से आयोग द्वारा निवेदन किया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यक एनसीएमईआई अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आते हैं।

12.3 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार :–

1. किसी भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करना चाहता हैं, उस प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।

2. सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित होगा : –

दस्तावेजों, हलफनामों या अन्य साक्ष्य के अवलोकन पर, यदि कोई हो, तथा

आवेदक को सुनाए जाने का अवसर देने के बाद, उप–धारा (1) के तहत दायर हर आवेदन को शीघ्रता से निर्धारित करें और आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करें, जैसा कि मामला हो, बशर्ते कि जहां एक आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को उसी के साथ संवाद करेगा।

3. उपधारा (1) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर जहां : –

- सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, या

अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए एक आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और जिस व्यक्ति द्वारा इस तरह का आवेदन किया गया है उसे अस्वीकृति की सूचना नहीं दी गई है,

यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है।

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) और एनसीएमई अधिनियम के खंड 2 (जी) के अनुसार संस्थानों के पास निम्नलिखित अधिकार हैं

1. संस्था के संस्थापकों को संस्था के मामलों का संचालन और प्रबंधन करने के लिए विश्वास और आत्मविश्वास के लिए अपने शासी निकाय का चयन करने के लिए।

2. शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के लिए।

3. अपने समुदाय के छात्रों को स्वीकार करने के लिए। गैर अल्पसंख्यक छात्रों को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रवेश पर आरक्षण की नीति राज्य द्वारा लागू नहीं की जा सकती है और न ही कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में राज्य द्वारा प्रवेश के किसी भी कोटा या प्रतिशत को राज्य द्वारा आवश्यक बनाया जा सकता है। लेकिन अगर संस्थान राज्य से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 29 के उप–अनुच्छेद (2) के तहत प्रबंधन को गैर–अल्पसंख्यक छात्रों को उचित सीमा तक स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सकता है।

5. किसी भी दोषी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना

पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006 (6) एससीसी 537], के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि:

1. प्रवेश में आरक्षण की नीति अल्पसंख्यक संस्था पर लागू नहीं की जा सकती।

2. रोजगार में आरक्षण की नीति अल्पसंख्यक संस्था पर लागू नहीं की जा सकती।

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत मदरसा सहित अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम से मुक्त रख गया है।

12.4 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए आधार :–

इस आयोग द्वारा या किसी भी प्राधिकरण द्वारा दिए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र को उस अधिनियम की धारा 12 सी के तहत रद्द किया जा सकता है जिसमें उसमें शामिल किसी भी शर्त का उल्लंघन हो सकता है।

यदि धोखाधड़ी करके अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त दिया गया है या यदि किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा के परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन है, तो संबंधित प्राधिकरण, अल्पसंख्यक के प्रमाण पत्र को रद्द की शक्ति रखता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संबंधित संस्था के प्रबंधन को सुनवाई का अधिकार होगा।

यह अब अच्छी तरह से सिद्ध है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किसी भी प्राशासनिक आदेश को सख्ती से पारित किया जाना चाहिए

(देखें आकाशवाणी 1978 एससी 851)। यदि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को दी गई अल्पसंख्यक दर्जा को रद्द करने से संबंधित किसी भी आदेश को इस तरह के संस्थान में सुनाई जाने के अवसर पर बिना किसी भी तरह से पारित किया गया है, तो यह विचलित हो जाता है।

12.5 आयोग का मानना है कि सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए एकल–खिड़की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। विकेंद्रीकरण को जिला/जिला परिषद/तालुका स्तर पर आवेदन प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया जा सकता है, जहां आवेदन प्राप्त होने के बाद, आवेदन की जांच के बाद समय–सीमा में ही आवेदन किया जा सकता है ताकि आवेदन के नोडल प्राधिकरण को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए अग्रेषित किया जा सके। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को इस तरह की व्यवस्था तैयार करनी चाहिए और इसके लिए व्यापक प्रचार करना चाहिए।

12.6 कुछ राज्य सरकार के अधिकारियों को केवल अस्थायी अवधि के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा प्रमाण पत्र दिया जाता है। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अल्प अवधि का प्रमाण पत्र एक छोटी अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता है। जैसा टी.के. वी.टी.एस.एस. में मद्रास उच्च न्यायालय में किया गया है मेडिकल एवं चौरिटेबल ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एआईआर 2002 मद्रास 42, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को विशिष्ट अवधि के लिए समय–समय पर ड्राइविंग लाइसेंस की तरह नए सिरे से नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। यह राज्य सरकार को एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने के अपने पहले आदेश की समीक्षा करने के लिए खुला नहीं है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अल्पसंख्यक दर्जा की तलाश करते हुए संबंधित संस्था ने किसी भी वास्तविक तथ्य को छुपा दिया है या पहले के रद्द करने की वारंटिंग की परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन है। आदेश/संदर्भ, इस संबंध में, उनके प्रभुत्व के निम्नलिखित टिप्पणियों के लिए किया जा सकता है : –

> '.....। अंत में, हम मानते हैं कि यदि किसी को एक बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत परिकल्पित अधिकारों के हिसाब से अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है, जब तक कि परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन या तथ्यों का दबाना नहीं होता, सरकार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष सुनवाई से पहले उस संवैधानिक अधिकार को निरस्त करने का अधिकार नहीं है जो कि एक मौलिक अधिकार है।
>
> तदनुसार, आयोग ने राज्य सरकारों को सिफारिश की कि अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र स्थायी आधार पर दिया जाना चाहिए जो कानून की उचित प्रक्रिया के बाद ही वापस लिया जा सकता है।

12.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (एन.सी.एम.ई.आई) अधिनियम, 2004 की धारा 10 के प्रयोजन के लिए,

- सभी राज्य सरकारों को किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है

और धारा 12 (बी) के उद्देश्य के लिए,

- राज्य सरकारों को किसी भी शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है।

12.8 यह पाया गया कि कई राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए अनुरोध पर विचार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। नतीजा यह हुआ कि आयोग को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए।

एन.सी.एम.ई. आई. अधिनियम की धारा 2 (सीए) के अनुसारः

'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ है अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की किसी भी संस्था की स्थापना के लिए कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त अधिकार।'

और NCMEI अधिनियम की धारा 2 (सीए) के अनुसार, 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ है :

(i) संसद के किसी भी कानून के तहत अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त एक शैक्षिक संस्थान के संबंध में, केन्द्र सरकार, तथा

(ii) किसी भी राज्य शिक्षा अधिनियम, किसी राज्य अधिनियम के तहत किसी भी अन्य संस्थान को अपने क्रमादेशित अध्ययन के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी संस्था स्थापित है।

12.9 आयोग ने राज्य सरकारों और गणराज्यों से सक्षम अधिकारी नामांकित करने और सक्षत प्राधिकारियों नोडल अधिकारी के ईमेल प्राप्त करने के लिए संपर्क किया ताकि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र तथा नोटिस को आनलाईन निर्गत किया जा सके। सिर्फ 17 राज्य सरकारें और गणराज्य पूरी जानकारी के साथ सामने आए। शेष राज्यों के साथ भी उक्त ब्यौरें देने के लिए भी पत्राचार किया जा रहा है ताकि आनलाईन आवेदन प्राप्त किए जा सके । अनुलग्नक –III में विभिन्न राज्यों के सक्षम अधिकारियों की एक सूची संलग्न है।

अनुलग्नक

वर्ष 2016–17 के दौरान जारी अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्रों का राज्यवार विवरण

क्रमांक	राज्य	अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र की कुल संख्या
1	अंडमान	0
2	आंध्र प्रदेश	29
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	6
5	बिहार	21
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	2
8	दादर और नगर हवेली	0
9	दमन	0
10	दिल्ली	21
11	गोवा	1
12	गुजरात	10
13	हरियाणा	11
14	हिमाचल प्रदेश	2
15	झारखंड	7
16	कर्नाटक	79
17	केरल	147
18	लक्षद्वीप	0

क्रमांक	राज्य	अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र की कुल संख्या
19	मध्य प्रदेश	39
20	महाराष्ट्र	17
21	मणिपुर	1
22	मेघालय	1
23	मिजोरम	0
24	नागालैंड	0
25	उड़ीसा	2
26	पुदुचेरी	5
27	पंजाब	3
28	राजस्थान	4
29	सिक्किम	0
30	तमिलनाडु	270
31	तेलंगाना	45
32	त्रिपुरा	0
33	उत्तर प्रदेश	363
34	उत्तराखंड	7
35	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	**1094**

अनुलग्नक - II

निर्गत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र का राज्य–वार और वर्ष–वार विवरण

31.03.2017 पर्यंत

	राज्य	वर्षवार ब्यौरा													कुल एम एस सी
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	अंडमान	0	3	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	8
2	आंध्र प्रदेश	4	9	24	6	30	2	17	35	71	113	75	28	5	419
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	6	0	0	12	1	0	1	1	0	23
4	असम	0	2	0	17	2	13	111	32	16	9	7	5	2	216
5	बिहार	1	2	20	17	3	3	27	6	15	10	12	14	9	139
6	चंडीगढ़	0	2	3	1	1	1	3	1	4	2	0	2	0	20
7	छत्तीसगढ़	0	1	4	5	7	55	91	3	24	28	10	3	0	231
8	दादर और नगर हवेली	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	दमन	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	दिल्ली	2	36	8	15	10	14	33	37	28	27	12	23	2	247
11	गोवा	0	9	31	28	81	4	3	3	0	2	0	3	0	164
12	गुजरात	0	3	3	5	8	5	5	0	2	4	7	13	1	56
13	हरियाणा	0	20	12	3	4	0	24	23	27	13	16	18	2	162

14	हिमाचल प्रदेश	0	9	3	4	0	1	3	3	0	0	1	2	0	26
15	झारखंड	0	2	15	13	3	1	4	15	21	11	6	10	0	101
16	कर्नाटक	0	4	26	15	11	9	12	43	105	186	157	84	14	666
17	केरल	0	9	78	97	524	822	852	843	492	453	263	147	37	4617
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	0	15	19	12	23	23	58	73	64	62	49	43	12	453
20	महाराष्ट्र	11	22	28	21	7	3	2	17	37	21	4	15	2	190
21	मणिपुर	0	1	0	1	0	0	32	0	1	0	0	1	0	36
22	मेघालय	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	उड़ीसा	0	14	16	23	6	12	6	2	4	4	1	21	1	110
26	पुदुचेरी	0	2	13	0	3	0	0	1	1	0	1	3	2	26
27	पंजाब	0	11	39	4	0	9	5	7	13	14	14	3	2	121
28	राजस्थान	0	2	22	37	20	4	2	0	4	8	1	3	1	104
29	सिक्किम	0	3	13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	18
30	तमिलनाडु	1	9	19	13	14	16	12	23	66	88	200	240	79	780
31	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	60	67	0	135
32	त्रिपुरा	0	0	0	1	6	0	0	4	0	2	0	0	0	13

	राज्य	वर्षवार ब्यौरा													कुल एम एस सी
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
33	उत्तर प्रदेश	1	107	99	48	59	114	253	692	593	435	183	366	73	3023
34	उत्तराखंड	0	36	17	8	4	3	11	4	6	8	10	6	3	116
35	पश्चिम बंगाल	1	85	215	113	15	7	89	86	74	7	5	0	0	697
	कुल	**21**	**422**	**737**	**507**	**848**	**1122**	**1656**	**1965**	**1671**	**1515**	**1096**	**1122**	**247**	**12929**

सक्षम प्राधिकारियों की सूची

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
1.	आंध्र प्रदेश		सरकार के प्रमुख सचिव (पद के अनुसार) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एपी सचिवालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) टेलीफोनः 040–2345 9290 Prisecy-mw@ap.gov.in
2.	अरुणाचल प्रदेश	उप सचिव (शिक्षा) अरुणाचल प्रदेश सरकार सिविल सचिवालय, शिक्षा शाखा, ब्लॉक नंबर 1ए तीसरा तल, पीओ इटानगर –791 111 मोबाइलः 096121 05080 dysecyedn@gmail.com	उप सचिव (शिक्षा) सरकार अरुणाचल प्रदेश का सिविल सचिवालय, शिक्षा शाखा, ब्लॉक नंबर 1ए तीसरा तल, पीओ इटानगर –791 111 मोबाइल रू 096121 05080 dysecyedn@gmail.com
3.	असम		संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग (उच्चतर), असम सचिवालय, ब्लॉक सी, सचिवालय परिसर, दिसपुर, गुवाहाटी –6 असम
4.	बिहार		सचिव मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना, बिहार

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
5.	छत्तीसगढ़	संयुक्त सचिव हाउस नंबर 42, फ्लोरल सिटी, दुंडा, ओल्ड धामरी रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) टेलीफोनः 0771–2510088 मोबाइलः 094255 98888	संयुक्त सचिव हाउस नंबर 42, फ्लोरल सिटी, दुंडा, ओल्ड धामरी रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) टेलीफोनः 0771–2510088 मोबाइलः 094255 98888
6.	गोवा	सचिव (गृह) सचिवालय, पोरवॉरिम दृ गोवा टेलीफोनः 0832–2419401 फैक्सः 0832–2415201 मेबाइलः 07030297860 CS-goa@nic.in	सचिव (गृह) सचिवालय, पोरवॉरिम दृ गोवा टेलीफोनः 0832–2419401 फैक्सः 0832–2415201 मेबाइलः 07030297860 CS-goa@nic.in
7.	गुजरात		स्कूलों के आयुक्त, मिड डे मील और स्कूलों के आयुक्तालय, गुजरात सरकार, सेक्टर 10ए गांधीनगर तकनीकी शिक्षा आयुक्त दूसरा तल, ब्लॉक नंबर 2, डॉ जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर –382 010 टेलीफोनः 079–2325 3546 फैक्सः 079–2325 3539 dteguj@yahoo.co.in
8.	हरियाणा	नोडल अधिकारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, शिक्षा सदन, दूसरा तल, सेक्टर –5ए पंचकुला (हरियाणा) dseps13@gmail.com	वित्त आयुक्त और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय, चंडीगढ़, हरियाणा – 160 001

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
9.	हिमाचल प्रदेश	उच्च शिक्षा शिमला के निदेशक हिमाचल प्रदेश टेलीफोनः 0177–2656621 Dir.edu@rediffmail.com	निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला dir.edu@rediffmail.com
10.	जम्मू और कश्मीर	एन.सी.एम.ई. आई. अधिनियम लागू नहीं है।	
11.	झारखंड	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा झारखंड, रांची प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची टेलीफोनः 0651–2401797, 2401733 मोबाइलः 09431108397 Primaru896@gmail.com	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची टेलीफोनः 0651&2400973 मोबाइलः 09431114939, 09430177777 dirseccednjhk@rediffmail.com
12.	कर्नाटक		प्रधान सचिव या सरकार के सचिव उच्च शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार कर्नाटक सरकार सचिवालय मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बैंगलोर (कर्नाटक) (कॉलेजिएट शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए) सुजान्य, आईएएस आयुक्त डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन, नारपूता रोड, बैंगलोर – 560001 टेलीफोनः 080–22214350 / 080–22213766 फैक्सः 080–22212137 मोबाइलः 09448999302 Cpi.edu.sgkar@kar.nic.in

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
			प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) कक्ष संख्या 645, 6 वीं मंजिल, एम एस बिल्डिंग, बेंगलुरु– 560001 प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा विभाग कक्ष संख्या 610, 6 वीं मंजिल, गेट 4, एम एस बिल्डिंग्स, बैंगलोर (कर्नाटक)
13.	केरल		सचिव सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, केरल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, केरल
14.	मध्य प्रदेश		आयुक्त पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, सतपुरा भवन, दूसरी मंजिल, एरिया हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश
15.	महाराश्ट्र		उप सचिव अल्पसंख्यक विकास विभाग कमरा सं. 715, मंत्रालय (एनेक्सी), मुंबई –32 टेलीफोनः 022–22830031 फैक्सः 022–22830626 मेबाइलः 09967311158 Sandesh.tadvi@nic.in

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
16.	मणिपुर		श्री डब्ल्यू आर लिंगदोह, आईएएस
17.	मेघालय	श्री डब्ल्यू आर लिंगदोह, आईएएस सचिव, शिक्षा विभाग मेघालय सरकार	सचिव, शिक्षा विभाग मेघालय सरकार
18.	मिजोरम	गृह सचिव मिजोरम सचिवालय, एनसीसी टेलीफोनः 0389–2322411 फैक्सः 0389–2322745 मेबाइलः 7085055193 cs_miz@rediffmail.com	गृह सचिव मिजोरम सचिवालय, एनसीसी टेलीफोनः 0389–2322411 फैक्सः 0389–2322745 मेबाइलः 7085055193 cs_miz@rediffmail.com
19.	नागालैंड	अतिरिक्त निदेशक (एचओडी), स्कूल शिक्षा, नागालैंड स्कूल शिक्षा निदेशालय, नागालैंड, कोहिमा– 797001 मोबाइलः 094366 08991 टेलीफोनः 0370–2260110 फैक्सः 0370–2260041 wonthungo@gmail.com	अतिरिक्त निदेशक (एचओडी), स्कूल शिक्षा, नागालैंड स्कूल शिक्षा निदेशालय, नागालैंड, कोहिमा– 797001 मोबाइलः 094366 08991 टेलीफोनः 0370–2260110 फैक्सः 0370–2260041 wonthungo@gmail.com
20.	उड़ीसा		प्रमुख सचिव स्कूल और जन शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार, सचिवालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा – 751001
21.	पंजाब		सचिव उच्च शिक्षा विभाग, कक्ष संख्या 510, पांचवीं मंजिल, मिनी क्षेत्र, क्षेत्र 9, चंडीगढ़

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
22.	राजस्थान	राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक मामलों और वक्फ विभाग कक्ष नंबर 8145, एसएसओ बिल्डिंग, राज्य सचिवालय, जयपुर–302,005, राजस्थान टेलीफोनः 0141–2227635 psmarajasthan@gmail-com	राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक मामलों और वक्फ विभाग कक्ष नंबर 8145, एसएसओ बिल्डिंग, राज्य सचिवालय, जयपुर–302,005, राजस्थान टेलीफोनः 0141–2227635 psmarajasthan@gmail-com
23.	सिक्किम		निर्देशक शिक्षाविद, एमडीएम और भाषाएं सिक्किम सरकार मानव संसाधन विकास विभाग गंगटोक, टीए शिलाँग –737101
24.	तमिलनाडु	मैडिकल शिक्षाः सरकार के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु	प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु – 9 मैडिकल शिक्षाः सरकार के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु
25.	त्रिपुरा		सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सरकार त्रिपुरा का सिविल सचिवालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अगरतला, त्रिपुरा टेलीफोनः 0381–2412943

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
			फैक्सः 0381–2412943 मोबाइलः 09436167018 Secretary_Tripura@yahoo-in
26.	तेलंगाना	सरकार के सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डी–ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद –500 022 टेलीफोनः 040–23452983 फैक्सः 040–23459906 मोबाइलः 09441481455 Secy-mwts@gmail-com	सरकार के सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डी–ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद –500 022 टेलीफोनः 040–23452983 फैक्सः 040–23459906 मोबाइलः 09441481455 Secy-mwts@gmail-com
27.	उत्तर प्रदेश	प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार (उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए) श्री अनिल गर्ग सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार 11, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ (यूपी) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार (तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए)	उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 6 वीं मंजिल, इंदिरा भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
		श्रीमती मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार 03, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ (यूपी) प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार (व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के लिए) श्री भुवनेश्वर कुमार सचिव व्यावसायिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार एन –19 तृतीय तल, सचिवा भवन सचिवालय, लखनऊ (यूपी) प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ स्कूल की संबद्धता के लिए) श्री जितेन्द्र कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई आर एन 15, नवीन भवन सचिवालय, लखनऊ (यूपी)	

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
28.	उत्तराखंड		सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार, महापौर विहार, सहस्त्र धार रोड, देहरादून, उत्तराखंड
29.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीसीएस (एक्सी) संयुक्त सचिव अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग, सरकार पश्चिम बंगाल के नबाणा, 325, सरत चटर्जी रोड, हावड़ा – 711102 टेलीफोनः 033–2253 5086 मोबाइलः 09433154182 jssamamewb@gmail-com	डब्ल्यूबीसीएस (एक्सी) संयुक्त सचिव अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग, सरकार पश्चिम बंगाल के नबाणा, 325, सरत चटर्जी रोड, हावड़ा – 711102 टेलीफोनः 033–2253 5086 मोबाइलः 09433154182 jssamamewb@gmail-com
30.	अंडमान एवं निकोबार		प्रधान सचिव (शिक्षा)/अध्यक्ष एमईआई ए एंड एन प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर टेलीफोनः 03192–233364 फैक्सः 03192–232236 मोबाइलः 9434287044 Udevelop-and@nic-in सचिव–सह–निदेशक (शिक्षा) ए एंड एन प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर टेलीफोनः 03192–230661 फैक्सः 03192–230101 मोबाइलः 9434282040 secedn@nic-in

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
31.	चंडीगढ़	निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ अतिरिक्त डीलक्स बिल्डिंग, 1 तल, सेक्टर –9, चंडीगढ़ 160,009 टेलीफोनः 0172–2740411 फैक्सः 0172–2740695 मोबाइलः 9781331102 dpi&chd@nic-in	निदेशक स्कूल शिक्षा, चंडीगढ़ अतिरिक्त डीलक्स बिल्डिंग, 1 तल, सेक्टर –9, चंडीगढ़ 160,009 टेलीफोनः 0172–2740411 फैक्सः 0172–2740695 मोबाइलः 9781331102 dpi&chd@nic-in
32.	दादर और नगर हवेली	–	–
33.	दमन और दीव	–	–
34.	दिल्ली		सहायक निदेशक (शिक्षा) अधिनियम शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की एनसीटी सरकार, आर संख्या 214–ए, ओल्ड सचिवालय, दिल्ली – 110 054 शिक्षा के निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5, श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली – 110,054
35.	लक्षद्वीप	–	–
36.	पुडुचेरी	स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थानों के लिए – सरकार के सचिव (शिक्षा), पुडुचेरी थिरु जी राजीव चंद्र, आईएएस	

क्र.सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (बी) के तहत प्राधिकरण
		सरकार के सचिव (शिक्षा) मुख्य सचिवालय नंबर 1, गौबर्ट एवेन्यू, समुद्री किनारे पर सड़क, पुडुचेरी – 605001 टेलीफोन : 0413–2233308 ecyedn-pon@nic-in उच्च स्तर की शिक्षा संस्थानों के लिए – प्रशासक पुदुचेरी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम (सेवानिवृत्त) माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर राज निवास, नंबर 1, रंग पिल्लै स्ट्रीट, पुडुचेरी –605 001 टेलीफोनः 0413–2334 051 lg-pon@nic-in	